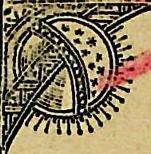
कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी।




॥ श्री ॥

शौचीयदर्पण ।

[धर्म्मशास्त्र के अनेक विषयों का निर्णय]



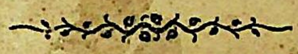
श्रीवंशीधर शर्म्मा जैतली सारस्वत-

लिखित

-और-

रणवीर पाठशाला के अध्यापक—

पण्डित रामजन्न ओझा द्वारा संशोधित ।



काशी ।



लहरी प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित ।

सन् १९०९ ई०

मूल्य ।) आ०



1905

॥ श्रीः ॥

भूमिका ।



हमारे सनातन धर्म्मावलम्बियों को धर्म कर्म तथा आचार व्यवहार के विषय में जरा जरासी बात जानने के लिये बराबर पण्डितों के घर दौड़ना पड़ता है, जो लोग छोटे छोटे कसबों या देहातों में रहते हैं उन्हें तो ऐसी बातों के जानने के लिये बहुतही कष्ट उठाना पड़ता है और फिर भी शंका समाधान का झगड़ा बनाही रहता है । देहातों में तो बहुतायत के साथ ऐसा होता है कि प्रश्न करने पर यदि पण्डितजी ठीक२ उत्तर नहीं दे सकते तो जो जी में आता है उसी को कह कर अपनी पण्डिताई में बट्टा लगने नहीं देते चाहे वह उत्तर उनका शास्त्र विरुद्धही क्यों न हो अथवा उनका जजमान शास्त्र विरुद्ध कार्य करके पतितही क्यों न होजाय परन्तु "रेंडराज" पंडितजी अपने श्रीमुख से यह कदापि न कहेंगे कि इस विषय को काशी, नदिया या अमुक स्थान के पण्डितों से पूछना चाहिये, इत्यादि हिन्दूधर्म्मावलम्बियों को कई प्रकार का कष्ट जान और सुन कर मैंने निश्चय कर लिया है कि क्रमशः धर्म्म कर्म्म अथवा कर्म्म-काण्ड के कुल विषयों को भाषा में प्रकाश करके लोगों के इस कष्ट को दूर करूं। आज यह "शौचीयदर्पण" नामक पहिला ग्रन्थ आपलोगों के सामने रखता हूं और फिर धीरे धीरे और सब [illegible]ों के ग्रन्थ भी प्रकाश करूंगा ।

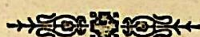


[illegible] ग्रन्थ श्राद्धविवेक, धर्म्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु तथा मनु मिताक्षरा आदि कई ग्रन्थों से जांच विचार कर लिखा गया है इसमें किसी को किसी तरह की शंका नहीं हो सकती। यदि इससे सर्वसाधारण का उपकार होगा तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा ॥

श्री वंशीधर मिश्र सारस्वत

काशी ।

सूचीपत्रम् ।





॥ श्रीगणेशायनमः ॥



शौचिय दर्पण ।



॥ दोहा ॥

दशरथ नन्दन अघ हरण सकल सुमङ्गल ईश ।
चरण कमल नित चहतहौं करहु कृपा जगदीश ॥



र[illegible] चन्द्रमा का जब बारह अंश अन्तर होता है तब एक ति[illegible] २४ अंश अन्तर में २ तिथि एवं सब तिथि होती है। सो यह तिथि दो प्रकार की होतीं है। १ अखण्डा २ खण्डा। अखण्डा तिथि वह है जो सूर्योदय से लेकर दिनार्ध तक रहै। और खण्डा तिथि वह है जो दिनार्ध तक न हो। खण्डा तिथि में किसी व्रत का आरम्भ औ समाप्ति न करना। अखण्डा में करना यह साधारण नियम है॥

अथ पारणम् ।

तिथि नक्षत्र के नियम में यह लिखा है कि "तिथि भान्ते च पारणम्" अर्थात् तिथि नक्षत्र के अन्त में पारण करना इसके अन्यथा पारण करने में व्रतभङ्ग होता है जैसा लिखा है कि—

"भान्ते कुर्या त्तिथेर्वापि शस्तं भारत पारणम् ।
याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्यानक्षत्र संयुताः ॥
ऋक्षान्ते पारणं कुर्या-द्विनाश्रवण रोहिणी ।
तिथ्यृक्ष योर्यदा छेदो नक्षत्रान्त मथापिवा ॥
अर्द्धरात्रे यथा कुर्यात् पारणं त्वपरे हनि ।
सर्वेष्वेवोपवासेषु दिवा पारण मिष्यते ॥
तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा व्रती कुर्वीत पारणम् ।
पारणंनाम पारंयाति कर्मत्वेन समाप्त्यर्थत्वादिति ॥"
"सात्वस्तमय पर्यन्त व्यापिनी चेत्परे हनि ।
दिवैव पारणंकुर्यात् पारणे नैव दोषभाक् ॥"

अथ मुहूर्त स्वरूपम् ।

अब मुहूर्त क्या पदार्थ है सो लिखते हैं । नेत्र पलक जितने समय में गिरते हैं उसको निमेष कहते हैं दो निमेष की एक त्रुटि होती है । दो त्रुटि की एक कला होती है । दो कला का एक क्षण होता है । दस क्षण की एक काष्ठा होती है तीस काष्ठा की एक कला और तीस कला का

एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूर्त का एक दिन रात होता है ऐसा श्रीभगवान ने कहा है।

इसके बाद सामान्य तिथियों का निर्णय।

प्रतिपत् दुर्गा स्थापन में सब अनध्यायों में पर्वत पूजन में कार्तिकशुक्ल प्रतिपद को जूआ खेलने में सब कृष्ण पक्ष में पर अर्थात् दूसरे दिन की लेना सब शुक्लपक्ष में गौ का शृङ्गार क्रीडा में पूर्व व्यापिनी (पहले) लेना। द्वितीया कार्तिक शुक्लपक्ष की पूर्व दिन में मध्यान्ह में न हो तो परा लेना और सब पर लेना।

तृतीया माघ शुक्ल की रम्भा श्रावण शुक्ल की मधु-श्रावणी चैत्रशुक्ल की चन्दनिका वैशाखशुक्ल की अक्षया और भाद्रकृष्ण की कज्जली यह सब परा लेना इसके अ-तिरिक्त उदय व्यापिनी लेना भाद्रशुक्ल तृतीया हरि-तालिका पर दिन में दो घड़ी हो तो वही लेना अन्यथा पूर्वा ग्रहण करना।

चतुर्थी कार्तिक कृष्णपक्ष की यदि दोनों दिन चन्द्रो-दय व्यापिनी हो तो पूर्वा लेना न हो तो जिसदिन नगीच चन्द्रोदय हो वही लेना भाद्र कृष्ण की पूर्वा माघ कृष्ण की पर। इससे अन्य कृष्णपक्ष की जो चतुर्थी सो यदि दोनों दिन चन्द्रोदय व्यापिनी न हो तो पर लेना भाद्र पद शुक्ल चतुर्थी मध्यान्ह में हो तो पूर्वा लेना मध्यान्ह में न हो तो पर लेना माघ शुक्लपक्ष की सन्ध्या में जिसदिन हो वही लेना ज्येष्ठ श्रावण की उदय व्यापिनी भी ग्रहण करना।

पञ्चमी—आश्विन शुक्ल में पूर्वविद्धा माघ भाद्रपद मार्गशीर्ष श्रावण इसके शुक्लपक्ष में परा, कृष्णपक्ष में सब मास में पूर्वाही ग्रहण करना ।

षष्ठी—उदया लेना । भाद्र शुक्ल की वैधृति युक्ता और मार्गशोर्ष की रवि दिन करके युक्त रम्यानाम की होती है । स्कन्द षष्ठी पूर्वा लेना चन्द्र षष्ठी रवि चन्द्र युक्त ग्रहण करना ।

सप्तमी—सब मास की पूर्वा लेना, माघ आश्विन के शुक्लपक्ष की परा लेना वैशाख शुक्लपक्ष की मध्यान्ह व्यापिनी लेना ।

अष्टमी—कृष्णाष्टमी अर्धरात्र निशीथ में स्मार्तलोगों के लिये । निशोथ में बुध रोहिणी युक्त हो सप्तमी विद्धा न हो तो वैष्णव लोगों के लिये होती है । कोई उदयगा रोहिणी ग्रहण करते हैं । कोई आश्विन महीनें में सिंह के सूर्य में अष्टमी मानते हैं । भाद्रशुक्ल में और मार्ग कृष्ण में पूर्वा ज्येष्ठशुक्ल में तीन मुहूर्त से अधिक हो तो परा लेना तीन मुहूर्त यदि न हो तो पूर्वा अन्य अष्टमी दिनार्धोत्तर व्यापिनी ग्रहण करना ।

नवमी—रामनवमी पूर्वा । दुर्गानवमी परा । अक्षय नवमी परा । शेष नवमी सब पूर्वा ग्रहण करना ।

दशमी—शुक्लपक्ष की दशमी परा कृष्णपक्ष की पूर्वा। ज्येष्ठ शुक्ल की हस्त संयुक्ता उत्तमा । विजया दशमी प्रदोष में जिस दिन हो । यदि श्रवण संयुक्त अल्प भी हो तो पराही । श्रवण युक्त दशमी यात्रा में शुभ है ।

एकादशी—एकादशी उदया लेना वृद्धि भई हो तो परा लेना। क्षयगत हो तो उसीको गृहस्थ करते हैं। अन्य लोग पूर्व दिन में यदि दशमी ५६ घटीका हो तो द्वादशी को करते हैं। क्षय होजाने पर भी द्वादशी करते हैं। कोई पूर्व दिन में निशीथ में यदि दशमी विद्धा हो तौ भी द्वादशी करते हैं। एकादशी उदया करना दोनों दिन हो तो परा लेना। पर दिन में न हो तो पूर्वा ही ग्रहण करना गृहस्थों के लिये दशमी विद्धा भी होती है। वैष्णव लोग पूर्व दिन में ५५ घटी के बाद दशमी हो तो एकादशी को छोड़ कर द्वादशी करते हैं।

द्वादशी—बामन द्वादशी पूर्वा अथवा श्रवण युता लेना और सब परा ग्रहण करना।

त्रयोदशी—त्रयोदशी प्रदोष व्यापिनी लेना दोनों दिन हो तो कृष्णपक्ष में परा शुक्लपक्ष में पूर्वा, चैत्रशुक्ल त्रयोदशी पूर्वा यदि वह चन्द्रवार अथवा शनिवार को हो तो प्रदोषव्रत में शुभ है। माघशुक्ल त्रयोदशी रम्भा, भाद्रशुक्ल त्रयोदशी स्मरा नाम की द्वादशी विद्धा लेना। कार्तिकशुक्ल त्रयोदशी सायान्ह व्यापिनी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी शतभिषा शनैश्चर शुभ योग युक्त होने से वारुणी होती हैं।

चतुर्दशी—शुक्लपक्ष में परा कृष्णपक्ष में पूर्वा वैशाखशुक्ल में प्रदोषगता। अनन्त चतुर्दशी पर दिन तीन मुहूर्त हो तो परा अन्यथा पूर्वा। किसीने मध्यान व्यापिनी भी लिया हैं। प्रदोष व्रत में सायंगता शिवरात्रि व्रत में

निशीथगता (आधीरात का) लेना दोनों दिन ऐसा हो तो परा लेना हनुमत् चतुर्दशा भी इसी तरह। नरक चतुदशी पूर्वा वैकुण्ठ चतुर्दशी परा लेना।

पूर्णिमा—होलिका दहन रात को भद्रा के अन्त में करना, रात्रि को दो दिन हों तो भद्रा रहित लेना दोनों दिन में भद्रा रहित रात्रि को किसी दिन न हो तो भद्र पुच्छ में विचार के होलिका दहन करना। श्रावणी भद्रा रहित जब हो तब रक्षाबन्धन करना व्रत में पूर्वा लेना।

अमावास्या—कुशोत्पाटनी परा लेना व्रत में पूर्वा कार्तिककृष्णामावास्या सायंगता वटसावित्री मध्यान्ह व्यापिनी यदि हो तो परा और भी पराही लेना॥

॥ इति तिथि निर्णयः॥

अयन दो होते हैं कर्क संक्रान्ति से ६ राशि तक दक्षिणायन मकर संक्रान्ति के ६ राशि तक उत्तरायण।



अथ संक्रान्ति निर्णयः।

वृष सिंह वृश्चिक और कुम्भ इनके संक्रान्ति [illegible] नाम विष्णुपद है मिथुन कन्या धन और मीन के संक्रान्ति का नांम षडशीति है। मेष तुला की संक्रान्ति का नाम विषुव है मकर की उत्तरायण संज्ञा कर्क की दक्षिणायन संज्ञा होती है। मेष की संक्रान्ति में पहिले पीछे दोनों तरफ सोलह २ दण्ड पुण्यकाल होता है। वृष की संक्राण्ति में

पहले १६ दण्ड मिथुन की संक्रान्ति में पर षोडस दण्ड पुण्य होता है। कर्क संक्रान्ति में पूर्वही ३० घटी पुण्य सिंह की संक्रान्ति में पूर्वही १६ दण्ड पुण्य कन्या की संक्रान्ति में पर १६ दण्ड तुला की संक्रान्ति में पूर्व पर दोनों तरफ सोलह २ दण्ड वृश्चिक में पूर्व १६ दण्ड धनु में पर १६ दण्ड मकर में पर में ४० दण्ड कुम्भ में पूर्व १६ दण्ड मीन में पर १६ दण्ड पुण्य होता है। दो घड़ी रात जाने के पहिले यदि संक्रान्ति हो तो मकर धनु मीन मिथुन कन्या में भी पूर्वही पुण्य होता है।

दो दण्ड रात रहते यदि संक्रान्ति हो तो कर्क वृष सिंह वृश्चिक कुम्भ में भी परेही पुण्य होता है। प्रभात में कर्क की संक्रान्ति हो तो पूर्व दिन में पुण्य होता है यह भी किसी का मत है। रात्रि में अर्धरात्रि से पहले संक्रान्ति हो तो पूर्व दिन का उत्तरार्ध में पुण्य अर्धरात्री के बाद हो तो पर दिन के पूर्वार्ध में पुण्यकाल होता है। ठीक निशीथ (अर्धरात्रि) काल में संक्रान्ति हो तो दोनों दिन पुण्य काल होता हैं पर दिन के पूर्वार्ध में पूर्व दिन के परार्ध में पुण्य जानना परन्तु यह मकर और कर्क छोड़ कर अन्य संक्रान्ति के विषय में जानना॥



अथाशौच निर्णयः ।

सात पुरुषों तक सपिण्ड कहलाता है दस पुरुष तक सकुल्य कहलाता है । जननाशौच और मरणाशौच सपिण्डों का ब्राह्मणों के लिये दश दिन तक होता है। क्षत्रियों के लिये बारह दिन, वैश्य के लिये पन्द्रह दिन, शूद्रों के लिये एक मास का आशौच होता है। सकुल्य के मरने या जन्म लेने में सब वर्णों के लिये तीन दिन का आशौच होता है इसके बाद पक्षिणी (डेढ़ दिन) आशौच होता है। यदि कुल के परंपरा का ज्ञान न हो केवल कुल का है यही ज्ञान हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। प्रसूता स्त्री दश दिन में स्पर्श करने योग्य होती है। पर यदि शूद्र की स्त्री हो तो १३ दिन में स्पर्श योग्य होती है। जिस स्त्री को पुत्र उत्पन्न भया हो वह बीस दिन में अन्य कार्यों को करने योग्य होती है जिसको कन्या भई हो वह एक महीने में कार्य योग्य होती में। परन्तु यह विषय शूद्र को छोड़कर अन्य वर्णों के लिये जानना। पती अथवा सौत यदि प्रसूता स्त्री को न छूते हों तो यदि वे सचैल स्नान करे तो स्पर्श योग्य होते हैं। और यदि स्पर्श करते हो तो दश दिन का उनको भी अस्पृश्य दोष होता है। आशौच का तृतीय भाग अस्पृश्य (नहीं छूने योग्य) होता है। पहले दिन वा तीसरे दिन वा सातवें दिन अथवा नवें दिन वा चौथे दिन अस्थिसंचय करना। अस्थि संचय के बाद स्पर्श करना, यह संवर्त ऋषी का मत है।

प्रभात से पहले यदि आशौच हो तो पूर्व दिन के साथ रात्री का ग्रहण करना अर्थात् सूर्योदय के पहिले १ दिन मान लेना। अधम वर्ण की स्त्री से उत्तम वर्ण से जायमान बालक वर्णशङ्कर कहलाता है। वह अपनी माता की जाती के तुल्य आशौच करै और उत्तम वर्ण की स्त्री से अधम वर्ण से उत्पन्न शूद्र के सदृश आशौच करै। इसके बाद गर्भ स्राव का आशौच कहते हैं। गर्भपात का आशौच सब वर्णों के लिये तीन महीने के भीतर हो तो माता को तीन दिन पिता को स्नान मात्र से शुद्धि होती है। सपिण्डों को अशौच नहीं होता। छः महीने के भीतर माता को मास संख्या तुल्य रात्रि का आशौच सपिण्डों को तीन दिन का आशौच इसके बाद दस दिन का आशौच होता है। मरा हुआ बालक पैदा हो तो जन्म के तुल्यही आशौच होता है। नालच्छेदन से पहले बालक मर जाय तो माता को सम्पूर्णजननाशौच होता है और पित्रादिकों को तीन रात का आशौच होता है। दश दिन के बाद सात महीने तक मरे तो सद्यः शौच होता है। सप्तम मास से दो वर्ष तक ब्राह्मणों को एक रात्रि का आशौच होता है। उसके बाद छः वर्ष तक तीन रात का उसके बाद दश दिन का आशौच होता है। सात महीने से दो वर्ष तक क्षत्रियों को दो दिन का उसके बाद छ वर्ष तक छ दिन का उसके बाद १२ दिन का आशौच होता है। यहां पर चूडाकर्म जिसका हो गया हो उसका छ दिन। चूडा जिसका न भया हो उसका तीसरे वर्ष में भी

तीन दिन चूडा काल उल्लंघन हो जाने पर छः दिन का आशौच होता है। सप्तम मास के बाद दो वर्ष तक वैश्यों को ३ दिन उसके बाद छः वर्ष तक ९ दिन उसके बाद १५ दिन आशौच होता है। सप्तम मास से लेकर दो वर्ष तक शूद्र को ५ दिन उसके बाद १६ वर्ष तक १२ दिन बाद एक मास का आशौच होता है। शूद्र का छः वर्ष के बाद भी एक मास का आशौच होता हैं।

यदि दो वर्ष से कमती के बालक का अग्नि दाह किया गया हो तो ब्राह्मण को तीन रात क्षत्रिय को ११ रात वैश्य को १२ रात शूद्र को २० रात का आशौच होता है। अब स्त्रियों का आशौच लिखते हैं। दश दिन के बाद दो वर्ष तक कन्या के मरने में सद्यःशौच होता है उसके बाद वाग्दान पर्यंत १ दिन का आशौच होता है। वाग्दान के बाद विवाह पर्यन्त कन्या मरण में पितृकुल और पति कुल दोनों में तीन दिन का आशौच। विवाह के बाद पति कुल में ही आशौच होता है पितृकुल में नहीं जैसा यमने लिखा है—"स्वगोत्राद् भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे स्वामि गोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिंडोदक क्रिया" जहां पर वाग्दान नहीं होता वहां पर विवाह पर्यंत १ दिन का आशौच होता है। विवाहिता स्त्री अपने पिता के गृह में प्रसूता हो वा मर जाय तो पिता माता को तीन रात का एक स्थान में रहने वाले भाई वैमात्रिक (सौतेला) भाई पितृव्य (चाचा) तत्पुत्रादि को एक रात का आशौच होता है। विवाहिता स्त्री यदि अपने पति को छोड़

कर दूसरे के साथ रहे और उसको लड़का पैदा हो या वह मर जाय तो जारही (जिसके साथ रहती हो) को तीन दिन का आशौच होता है पहले पत्यादि को आशौच नहीं होता। जिस बालक का यज्ञोपवीत न हुआ हो या जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ हो उसके माता पिता के मरने में उसको ३ रात का अशौच होता है अन्य किसी के मरने में उसको अशौच नहीं होता। विवाह के बाद कन्या यदि पिता के गृह में मर जाय तो उसके माता पिता भ्राता अथवा सापत्न भ्राता को ३ रात का अशौच और अन्य उसके सपिण्डों को एक दिन अशौच होता है। विवाहिता स्त्री अपने पति के गृह में मरे तो उसके माता पिता सपत्न माता को तीन रात भाई को पक्षिणी अन्य को एक दिन का अशौच होता है। माता पिता सपत्न माता के मरने में दस दिन के भीतर यदि ज्ञान हो तो ३ रात विवाहिता स्त्री को अशौच होता है। दश दिन के बाद पक्षिणी ग्रामान्तर में रहने पर केवल १ दिन अशौच होता है। इसी तरह सपत्न भाई और बहिन का भी जानना। और इसी तरह बहिन के मरने में बहिन को भी जानना चाहिये। विवाहिता कन्या को माता महादिक (नाना वगैरह) और पितृव्यादिक के मरने में स्नानही से शुद्धि होती है। बिना यज्ञोपवीत किये हुए भाई के मरने में कन्या को अशौच नहीं होता।

अब बन्धु मरण का अशौच लिखते हैं। अपने पिता की बहिन के लड़के अपनी माता की बहिन के लड़के और

अपने मामा के पुत्र ये सब आत्मबन्धु कहे जाते हैं। और अपने पितामह की बहिन के पुत्र, अपनी पितामही की बहिन के पुत्र और पिता के मातुल पुत्र ये सब पिता के बन्धु कहे जाते हैं। मातामह के बहिन के पुत्र मातामही के बहिन के पुत्र और माता के मातुल के पुत्र ये मातृ बन्धु कहे जाते हैं। इनमें से किसी उपनीत के मर जाने में पक्षिणी अनुपनीत के मर जाने में एक दिन यदि अपने घर में मरे तो ३ रात अशौच होता है। पिता की बहिन इत्यादि स्त्रियों के विवाह हो जाने पर मरने में एक दिन अशौच विवाह न भया हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मामा के मरने में पक्षिणी उपकारी मामा के मरने में अथवा अपने घर में मामा के मरने में तीन रात का अशौच होता है। बिना यज्ञोपवीत किया हुआ अथवा ग्रामान्तर में मामा का मरण हो तो एक रात्र और इसी तरह सापत्न मातुल (दूसरी नानी के पुत्र) तथा मातुलानी (मामी) के मरने में भी जानना। सपत्न मातुलानी के मरने में अशौच नहीं होता। यज्ञोपवीत किये हुए भागिनेय के मरने में मामा को और मामा के बहिन (माता) को भी तीन रात्रि का अशौच होता है। इसी तरह सापत्न भागिनेय के मरने में भी जानना। बिना यज्ञोपवीत किये हुए भागिनेय के मरने में मामा को तथा मामा के बहिन को पक्षिणी अशौच होता है। इसी तरह सापत्न अनुपनीत भागिनेय के मरण में भी जानना। भागिनेयी के मरनेमें स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मातामह के मरने में

कन्या का जो पुत्र दौहित्र उसको तीन रात्रि का अशौच ग्रामान्तर में पक्षिणी का अशौच होता है। मातामही के मरण में दौहित्र को और दौहित्री को भी पक्षिणी का अशौच होता है। उपनीत दौहित्र के मरण में मातामह को तथा मातामही को भी तीन रात्रि का और अनुपनीत दौहित्र के मरण में पक्षिणी अशौच होता है। दौहित्री के मरण में अशौच नहीं होता। जामाता के नगीच यदि श्वश्रू (सास) अथवा श्वसुर मरे तो तीन रात का दूर हो तो पक्षिणी का अशौच होता है। उपकारक श्वश्रूश्वसुर के मरण में नगीच न होने पर भी तीन रात्रि का अशौच होता है। ग्रामान्तर में एक रात्रि का अशौच होता है। भार्या के मरने से सम्बन्ध छुटे हुए श्वश्रू (सास) श्वसुर के मरण में अथवा अनुपकारक के मरण में जामाता को एक दिन का आशौच होता है। जामाता के मरने में श्वश्रू श्वसुर को एक रात्र का अशौच अथवा स्नान मात्र से शुद्धि होती है। श्वश्रू श्वसुर के अपने गृह में यदि जामाता का मरण होतो तीन रात्रि का अशौच होता है। उपनयन किया हुआ श्यालक (शाला) के मरण में एक दिन का अशौच अनुपनीत श्यालक के मरण में स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ग्रामान्तर में मरे तौ भी स्नान मात्र से शुद्धि होती है। स्त्री के मर जाने से छुटे हुए सम्बन्धवाले श्यालक के मरण में स्नान से शुद्ध होता है। श्यालक पुत्र के मरण में किसी ने स्नान मात्र से शुद्धि कही है। श्यालक के स्त्री के मरण में एक दिन अशौच कहा है। माता की बहिन के मरने में

पक्षिणी का अशौच होता है। इसी तरह सापत्न (दूसरी माता) के बहिन के मरण में भी जानना। पिता के बहिन (भुआ) के मरने में पक्षिणी का अशौच पिता के सापत्न बहिन के मरने में स्नान से शुद्धि होती है। यदि किसी स्त्री के भाई के पुत्र का मरण हो तो उसको स्नान से शुद्धि होती है। अपने गृह में यदि पिता की अथवा माता की बहिन मर जाय तो तीन दिन में शुद्धि होती है अपने बन्धु से यदि दाह हो तो तीन रात्रि। जो बन्धु गृह में रहता हो बन्धु का अन्न खाता हो तो उस बन्धु के मरण में उसको दश दिन इत्यादि का अशौच होता है। पिता की बहिन इत्यादि तीन बन्धुओं के मरण में स्नान मात्र से शुद्धि होती है। नव बन्धुओं के बीच तीन अपने बन्धु का परस्पर अशौच होता है। छ बन्धुओं के मरण में जिसका बन्धु हो उसको अशौच होता है। और उसके मरण में बन्धुओं को अशौच नहीं होता।

इसके बाद दत्तक पुत्र का आशौच लिखते हैं। पांच वर्ष से अधिक के बालक को दत्तक नहीं ले सकते। बिना यज्ञोपवीत किये हुए दत्तक के मरण में पूर्व माता पिता को तथा परमाता पिता को तीन रात्रि का सूतक औ सपिण्डे को एक दिन का सूतक होता है। उपनीत दत्तक के मरण में पालक पित्रादि सपिंडों को दश दिन का सूतक पूर्व पित्रादिकों को तीन रात्रि का सूतक पूर्व सपिंडों को एक दिन का सूतक होता है।

पर्वा पर (पहला और दूसरा) माता पिता के मरण

में दत्तक को तीन रात्रि का पूर्वा पर सपिंडों के मरण में एक दिन का अशौच होता है। परन्तु यदि उसको उनका और्ध्वदेहिक (मृत क्रिया) क्रिया करना हो तो कर्माङ्ग दश दिन का अशौच होता है। दत्तक के पुत्र पौत्रादिक के जन्म में अथवा मरण में पूर्वा पर माता पिताओं को अथवा पूर्वा पर सपिण्डों को एक दिन का सूतक होता है। इसी तरह पूर्वा पर सपिंडों के मरण में भी दत्तक के पुत्रादिक को एक दिन का अशौच होता है परन्तु यह सपिंड समानोदक के अतिरिक्त दत्तक हो तो ऐसा जानना। सपिंड समानोदक के भीतर का हो तो यथा प्राप्त दशाह वा त्रिरात्र अशौच होताही है ॥इति॥

अब विदेशस्थ का अशौच लिखते हैं—

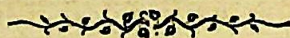
अशौच काल के भीतर सपिंड की विपत्ति सुनी जाय तो अशौच के बाकी दिन जो हो उतनाही अशौच होता है यदि सम्पूर्ण अशौच बीत जाने पर छ महीने के भीतर सुना जाय तो तीन रात्रि अशौच होता है इसके बाद नव महीने तक हो तो पक्षिणी इसके बाद एक वर्ष के भीतर यदि श्रवण हो तो एक दिन रात्रि का अशौच होता है एक वर्ष के बाद स्नान करके जल देने से शुद्धि होती है। तीन रात्रि इत्यादि अशौच काल बीत जाने पर शौच नहीं होता केवल स्नानमात्र से शुद्धि होती है। देशान्तर में श्रवण होने से सद्यःशौच होता है। देशान्तर का लक्षण यह है कि—जिस देश में भाषा बदल जाय नदी से वा पर्वत से जिस देश का व्यव धान (बीच) हो वह देशान्तर

कहलाता है। नदी वा बर्वत बीच में न हो तो १२० कोस से अधिक दूरी पर देशान्तर कहलाता है। यह अशौच जिसका उपनयन भया हो उसी के लिये है। और स्त्री शूद्र के लिये विवाह होजाने पर होता शूद्र को सोलह वर्ष तक बिवाह समय होता है यदि माता पिता का विपत्ति श्रवण हो तो जब सुना जाय तभी से दश दिनादिक का अशौच नियम से सर्वदा होता है। परस्पर सपत्नियों (सौतों को) को परस्पर स्त्री पु-रुषों को इसी तरह देशान्तर में वा कालान्तर में विपत्ति श्रवण हो अथवा हीन वर्ण की मातृ सपत्नि के (हीनवर्णकी दूसरी माता) विपत्ति श्रवण में एक वर्ष के बाद पुत्र को तीन रात्रि का अशौच होता है। अशौच काल व्यतीत हो जाने पर यदि जन्म का अशौच सुना जाय तो अशौच नहीं होता केवल पिता को स्नान मात्र होता है। विवाहिता कन्या को माता पिता के मरण में तीन रात्रि बीत जाने पर भी दश दिन के भीतर तीन रात्रि का अशौच उसके बाद एक वर्ष तक पक्षिणी अशौच होता है औरसपुत्र (खास विवाहिता स्त्री से पैदा भया) के मरण में माता पिता को वर्ष रोज के भीतर भी तीन रात्रि का अशौच होता है। दो वर्ष के भीतर के अवस्था के कन्या पुत्र का भूमि खनन होता है दाह क्रिया नहीं होती दो वर्ष के बाद यदि दाह क्रिया किया जाय तो दश गात्र तक करना। कन्या का विवाह पर्यन्त पुत्र का छ वर्ष तक। इसके बाद यज्ञोपवीत के पूर्व एकादशाह

तक करना यज्ञोपवीत के बाद सपिंडन करना। दो वर्ष के बालक का यदि दाह क्रिया भई हो तो उसका भी दश गात्र करना। इसको वयोवस्था शौच कहते हैं।

अति क्रान्ताशौच (जो बीत गया हो) वयोवस्था-जन्य अशौच सब वर्णों को समान ही होता है। आहिताग्नि (अग्निहोत्री) के विदेश मरण में मन्त्रवद्दाह से पूर्व उसके पुत्रादिक को अशौच नहीं होता है और सन्ध्यादि नित्य कर्म का लोप भी नहीं होता। अनाहिताग्नि के मरने में मरण दिन से पुत्रादिक अशौच करे। अनाहिताग्नि के विदेशमरण में उसके अग्निदाह में अथवा पर्णसर (पुतला) दाह में जो पहले अशौच के नहीं माने हुए हो ऐसे स्त्री पुत्र को दश दिन का अशौच दाह के बाद होता है और जिन्होंने अशौच को मान लिया हो और संस्कार कर्ता से भिन्न हो तो उनके लिये ३ रात्रि का अशौच होता है। सपत्नियों को भी इसी तरह तथा स्त्री के संस्कार करने में पति को भी ऐसाही होता है। इसके भिन्न जो सपिंड है जिन्हों ने पहले अशौच नहीं माना है उनको अनाहिताग्नि के संस्कार समय में तीन रात्रि का अशौच होता है। और जो गृहीताशौच हो उनको दाह काल में स्नान मात्र से शुद्धि होती है यह सब सपिंडों को तीन रात्रि वा पुत्रादिक को दश रात्रि का अशौच दशाह के बाद यदि दाहक्रिया हो तो जानना दशाह के भीतर सबको शेष दिनों करकेही शुद्धि होती है। और कर्म समाप्ति भी होती है। आहिताग्निही का

दश दिन के भीतर अस्थिदाह में वा पर्णशर दाह में शेष दिनों करके शुद्धि होती है क्योंकि जो समन्त्रक दाह दिन है वही प्रथम दिन कहा जाता है। दशाह के बाद देशान्तर के मृत अनाहिताग्नि की वार्ता श्रवणादि से जो त्रिरात्रादि अशौच को कर चुके हों ऐसे सपिंडों को चतुर्थादिक दिन को यदि संस्कार आरम्भ हो तो उस दिन स्नान मात्र से शुद्धि होती है और जो अशौच नहीं माने होय उनको तीन दिन का अशौच होता है। परन्तु स्त्री पुत्रों को श्रवण दिन से दश दिन का अशौच होता है द्वितीय दिन यदि संस्कार आरम्भ हो तो चौथे दिन सपिंडों की शुद्धि होती है देशान्तर में जो गया हो उस को बारह वर्ष इत्यादि प्रतीक्षा करके (आशा देख कर) पर्णशर दाह करने में भी यही व्यवस्था होती है परदेश गये हुए का जिस दिन से वार्ता न सुनी जाती हो उसी दिन से यदि वह मनुष्य पूर्वावस्था (लड़कपन) में हो तो २० वर्ष तक प्रतीक्षा करना मध्यावस्था (जवान) में हो तो पन्द्रह वर्ष अन्त्यावस्था (बूढ़ा) में हो तो १२ वर्ष प्रतीक्षा करके यदि मरण निश्चय का असम्भव हो तो पर्णशर दाह करना तीन चान्द्रायण अथवा ३० कृच्छ्र करके दाह करना॥



अथाशौच संस्कारः ।

श्राद्धादि करने के बाद यदि वह मनुष्य जीता हुआ चला आवे तो घी के पात्र में रखकरके पुनः उसका जात कर्मादि संस्कार करना जननाशौच के बीच में यदि मरणा शौच भी दूसरा उपस्थित होतो मरणा शौच के बादही शुद्धि होती है। इसी तरह मरणा शौच के भीतर यदि जनना शौच हो तौभी मरणा शौच के बादही शुद्धि होती है। सम्पूर्ण जनना शौच के बीचमें सकल अशौच काल के अर्धभाग के पहले यदि सम्पूर्ण दूसरा जनना शौच होजाय तो पूर्वा शौच के बादही शुद्धि होती है। और आधाबीत जानेपर यदि दूसरा जनना शौच हो तो दूसरे के अशौच बीतने पर शुद्धि होती है। अन्तिम दिन में सकला शौच यदि पडजाय तो अन्तिम दिन के बाद दो दिनमें शुद्धि होती है और यदि अन्तिम दिन बीत गया हो परन्तु प्रभात से पहले यदि दूसरा सकला शौच आपडे तो तीनदिन में शुद्धि होती है। बढे हुये पूर्व शौच में दो दीन के वा तीन दिन के भीतर पुनः तृतीय सम्पूर्ण अशौच आपडे तो दूसरे के दिनपर शुद्धि होती है। सकल मरणा शौच में सकल मरणा शौचान्तर की प्राप्ति हो जाय तोभी यही जानना। असम्पूर्ण (खंड) अशौच के भीतर यदि असम्पूर्ण अशौच की प्राप्तिहो तो दूसरेही के अशौच निवृत्ति होने पर शुद्धि होती है। असम्पूर्ण अशौचों का विषम (अधिक कमती) कालव्यापकों का यदि

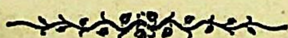
संयेाग हेा तेा अधिक दिन वाले पर शुद्धि होती है। यहां पर प्रवल को ग्रहण करके दुर्वल को छोड देते हैं बहुत दिन व्यापकही प्रबल हैं। जनना शौच मरणा शौच के मध्य में मरणा शौच प्रबल होता है। माता के अशौच में पिता का अशौच प्राप्तहेा तेा पिता का सम्पूर्ण शौच करना। पिता के अशौच में यदि माता का अशौच आजाय तेा पिता के अशौच के बाद पक्षिणी करना। स्त्रियेां का जनना शौच किसी प्रकार हटाया नहीं जाता है जिस्को पुत्र भया हेा वह २० दिन में जिस्को कन्या भई हेा वह १ महिने में निश्चय से शुद्धि होती है। मरणा शौच में अथवा जनना शौच में यदि पुत्र जन्म हेा तेा जात कर्मादिक का प्रतिबन्ध नहीं होता यह किसी का मत है। और पूर्वा शौच के अन्त में करना यह दूसरे कहते हैं। पिता के अशौच में यदि माता का अशौच आजाय तेा पिता के अशौच के वाद पक्षिणी करना इस्मे पिता का एकोदिष्ट वृषोत्सर्ग शय्यादानादिक भी करना अन्य सपिंडेां के अशौच में एकादशाह कृत्य नहीं करना यह बहुत आचार्यें का मत है। और करना यह किसी का मत है॥



मृत्यु विष का अशौच।

जो वृद्ध कर्म करने में अशक्त हों अथवा जो पुरुष वैद्य से निरोग नहो सो यदि जल में डूब करके मरे अथवा अग्नी में जलकर मरे अथवा पहाड़ के बिहड़ स्थान से गिर कर महा पथ यात्रा से (हिमालय यात्रा से) प्रयाग में बट शाखाग्र से गिर कर अनशन ब्रत (निराहार) इत्यादि प्रायश्चित्त से शरीर को त्याग करे तो उस्का त्रिरात अशौच होता है इस प्रायश्चित्त करने के समय जो जी उठा हो उस्के पुनः मरने में भी त्रिरात्रही अशौच होता है। रोष (क्रोध) इत्यादि से मरा हुआ आत्मघाती कहलाता है। उस्का अशौच अग्नि दान जल दान इत्यादिक नहीं होते। प्रमाद से जो मरा हो उस्का सब दशाहादि अशौच करना गोब्राह्मण के वास्ते युद्ध में या दण्ड से जो मरा हो उस्का एक रात्रि अशौच और संमर्द से (कुश्ती से) निःशस्त्र कलह से अथवा राजाज्ञा से मारा गया हो वा संग्राम में सम्मुख मारा गया हो गौ रक्षा ब्राह्मण रक्षा के लिये जल में वा पंक (कीच) में डूब कर जो मरा हो उस्का सद्यः अशौच होता है। जो पुरुष मरणान्तिक प्रायश्चित्त को चाहता हो (मरणे चाहता हो) सो दैवात् जल से अग्नि से रज्जु से पहाड़ के कठिन स्थान से गिरने से शस्त्र से नखी (भालू इत्यादि) जन्तुओं से सर्प से बराह से वा बियुत (बिजली) के पतन से जो मरा हो उस्का सद्यः शौच होता है। जिस्की शुद्धि

राजा (जो राजप्रिय) चाहता हो उस्का भी सद्यः शौच होता है। प्रमाद से जो इन जीवों से भालू सर्प और बराहादि से मारा गया हो उस्का सब अशौच होता है। प्रमाद से विद्यूत से जो मरा हो उस्का तीन रात अशौच होता है। जो पराङ्मुख होकर लगुड़ादि से मारा गया हो (भागता हो लाठी वगैरह से मारा गया हो) उसका त्रिरात्र अशौच होता है। कारागार में जो चौरादि मरते हैं उन्का एक रात्रि अशौच होता है। गुरू के मरने में उस्का शिष्य संस्कार करै तो उस्को दस दिन अशौच होता है। यदि दाह न करै तो एक रात्र यदि शिष्य के गृह में गुरू मरे तो नदाह करने पर भी तीन रात्री अशौच होता है। गुरूपत्नी के मरने में भी १ रात्र का अशौच होता है। गुरू पुत्र के मरने में चार प्रहर अशौच होता है। अपने घर जो शिष्य मर जाय तो गुरू को एकदिन रात अशौच होता है। यदि सहाध्यायी (साथ पढ़नेवाला) मरे तो एक रात्रि मित्र के अपने गृह में मरने पर पक्षिणी अन्यत्र मरे तो एक दिनरात्रि अशौच होताहै। यह अशौच आहिताग्नि के दाह दिन से और अनाहिताग्नि के मरण दिन से जानना ॥



जलाने का और लेजाने का अशौच ।

धर्म बुद्धि से जो ब्राह्मण अनाथ ब्राह्मण प्रेत को जलावे अथवा लेजावे सो स्नान करके पवित्र होता है। अपने से अधम को उत्तम यदि दाह करे अथवा उत्तम को अधम दाह करे तो प्रेतजाति के तुल्य अशौच होता है। यदि सजातीय प्रेत को मूल्य लेकर दाह करे तो भी प्रेत जाति तुल्य अशौच होता है। यदि मैत्री से सजातीय का दाह करै तो नैशि की (एक रात का)।

यदि शिष्य द्रव्य दे कर दूसरे से गुरू का दाह करावे तो शिष्यको दशदिन का अशौच होता है। जिस बन्धु के मरण में कुछ थोड़ा अशौच लिखा है उसका दाह करने वाले को तीन रात्रि का अशौच होता है। जो थोडा भी अशौच मानी हो सो दाहादि करके अथवा नहीं करके यदि मृतसंबन्धि गृह में रहे अथवा उसका अन्न खाता हो तो उसको तीन रात्रि का अशौच होता है और जो दोनों करता हो उसको प्रेत जातितुल्य अशौच होता है। प्रमाद से अन्न खावे तो अशौच नहीं होता मृतक के साथ जाने से सब को एक दिन रात का अशौच होता है।

शास्त्र की आज्ञा के बिना शस्त्र से अग्नि से जल से विष से पाषाण से पहाड के बिहडस्थान के गिरने से अनशनादि से जो अपनी इच्छा से आत्म घात करै क्रोध से दूसरे के उद्देश से अथवा अपनेही मनोरथ के साधन के भ्रम से अथवा चोरी इत्यादिक में जो राजा से मारा

जाय पर स्त्री गमन करने से उसके पत्यादिक द्वारा मारा गया हो विद्युत से मरा हो गैयों को नदी पार करने में वृक्ष पर चढ़ने में वा कूपादि में उतरने से गौ इत्यादि के हरण करने के लिये वा उनको मारने के लिये जो पुरुष गौ से सर्प से नखवाले जन्तु से शृङ्गवाले जन्तु से दांत वाले जन्तु से हाथी से चोर से ब्राह्मण से वा अन्त्यजादि से जो मारा गया हो ऐसे महापातकियों के अथवा इनके संसर्गी पतितों के नपुंसकों के अथवा पति इत्यादि को मारनेवाली स्त्रियों के वा हीनजाति के साथ गमन करने वाली स्त्रियों के गर्भ के हनन करनेवाली कुलटाओं के मरने में अशौच नहीं होता, इनके मृत शरीर का स्पर्श अश्रुपात वहन (लेजाना) दाह इत्यादि नहीं करना ज्ञान से अथवा अज्ञान से स्पर्शादिक करै तो कृच्छ्रातिकृच्छ्र सान्तपन चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त अन्य ग्रन्थों से जान कर करना और उनके मृत शरीर को जलमें प्रक्षेप (फेकना) करना। इसके संवत्सर के बाद उसके पुत्रादिक उसके आत्मघातादि पाप के अनुसार उसका प्रायश्चित्त करके नारायण बली को करके पर्णशर दाहादि पूर्वक आशौच और और्ध्वदेहिक उसका करै। किसी का मत यह है कि उसका दाह करके दाह निमित्त तीन चान्द्रायण करके अस्थि संचयन करके बरस दिन के बाद फिर उसका और्ध्वदेहिक करना। यहां पर अपने जीवन इत्यादि के सन्देह में उसके पुत्रादिक बरस दिन के पहिले भी उसके आत्मघातादि पाप के दूना प्रायश्चित्त करके नारायण-

वली करके पर्णशर दाह करके अथवा अस्थिदाह करके अशौच और और्ध्व देहिककार्य को करते हैं। अब सर्प से काटे हुए के लिये विशेष लिखते हैं। प्रमाद से सर्प के काटने से मरा हो वा योहीं सर्प के काटने से जो मरा हो उसका अशौचादि नहीं करना नागपूजा नारायणवलि नागदान गोदान इत्यादि करके दाह अशौचादि करना। सब जगह दुर्मरण में और पतितादि के मरण में उसका प्रायश्चित्तादि करके दाह अशौच इत्यादि करना॥

अब प्रायश्चित्त लिखते हैं—

जो जानबूझ कर आत्मघात किया हो उसका तीश कृच्छ प्रायश्चित्त होता है। यह जातिवध के प्रायश्चित्त के बराबर है। यदि ब्राह्मण आत्मघात किया हो तो ३० कृच्छ्र करे ऐसाही ब्राह्मणी और शूद्र को भी जानना। यदि अशक्त होकर आत्मघात किया हो तो दो चान्द्रायण और चार तप्तकृच्छ्र करै। प्रमाद से जो जलादि सेमरा हो उस का १५ कृच्छ्र अथवा चान्द्रायण पूर्वक दो तप्तकृच्छ्र करके दाहादि करना। पतित के मरने में १६ कृच्छ्र करे। जो कुछ काल तक म्लेच्छ के तुल्य होगया हो (म्लेच्छी कृत हो) और प्रायश्चित्त के योग्य हो उसका १६ कृच्छ्रादि प्रायश्चित्त पुत्रादि करके पर्णशर दाहादि करै। प्रमाद मरण में भिन्न २ जो चौर्य परदारा गमन इत्यादि कारणों से दुर्मरण भया हो तो दो चान्द्रायण अथवा तप्तकृच्छ्र करना अथवा जो प्रायश्चित्त के योग्य न हो उसका भी नारायणवलि करके सब और्ध्वदेहिक कार्य करना॥

पतित को जल देने की विधि ।

जो दासी सर्वंगा (व्यभिचारिणी) हो उसको बुला कर उसको वेतन (मूल्य) देकर उसके हाथ में अशुद्ध घड़े को देकर कहे कि (हेदासिगच्छ मूल्येन तिलाँस्तोय पूर्ण मिमंघटं शीघ्रमानय) हे दासि जावमूल्य से खरीद कर तिल और इस घट को जलपूर्ण करके जल्द ले आव । और दक्षिण मुख बैठकर तिल संयुक्त उसपूर्ण घट को बाम पैर से फेक दे और फेकने के समय बारबार यह कह (अमुक संज्ञक पतित प्रेत पिव पिव) हे अमुक नामक पतित प्रेत इसको पियो पियो । तब दासी उसके कहने को सुन कर अपना मूल्य लेकर ऐसा करै । ऐसा करने से पतित की तृप्ति होती है अन्यथा नहीं होती ॥



कुष्ठी के मरने की व्यवस्था ।

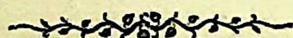
कुष्ठ आठ प्रकार का होता है । मरेहुए कुष्टी के शरीर को जल में डुबो देना अथवा भूमि में गाड़ देना । उसका दाह नहीं होता जल नहीं दिया जाता पिण्डदान नहीं होता दान भी उसके लिये नहीं करना । यदि स्नेह से उसका दाह करै तो यति चान्द्रायण को करै । और यथा शक्ति षडब्दादि प्रायश्चित्त करके कुष्ठादि महा रोग से मरे हुए का दाहक्रिया करै । अन्यथा न करै । बातव्याधी अश्मरी कुष्ठ महोदर भगन्दर ग्रहणी और कुनख ये आठ महारोग कहे जाते हैं ॥

रजस्वला के मरण की विधि ।

रजोवस्था में मरीहुई स्त्री का संस्कारादि नहीं करना तीन रात्रि के बाद स्नान की हुई स्त्री की तरह धर्म से दाह करना । अथवा रजस्वला को या सूतिका को मल प्रक्षालन करके स्नान कराके काष्ठ की तरह अमन्त्रक दाह करके उसके अस्थि को मन्त्राग्नि से दाह करै । परन्तु दोनों पक्ष में तीन चान्द्रायण प्रायश्चित्त होता है । मन्त्र वदाह करने की इच्छा में पहले यह विधि करै—"अद्येत्यादि अमुक गोत्राया रजस्वलावस्था मरण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थं-और्ध्वदेहिक योग्यार्थञ्च चान्द्रायण प्रायश्चित्त पूर्वकं शूर्पेणा ष्टोत्तशतस्नानानिकारयिष्ये" यह संकल्प करके तीन चान्द्रायण प्रत्याम्नाय से करके यव के पिष्ठ से प्रेत को लेपन करके स्वयं स्नान करके सूर्प से १०८ बार स्नान करावें उसके बाद भस्म गोमय मृत्तिका कुशोदक पञ्चगव्य और शुद्धजल से स्नान कराके "यदन्तियच्चदूरके" इत्यादि पवमान सूक्त की ऋचाओं से और "आपोहिष्ठे" त्यादि ऋचाओं से तथा "कयान" इत्यादि मन्त्रों से स्नान कराके प्रथम वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र को पहिना कर दाह करै ।

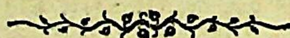
सूतिका की भी यही विधि है । सूतिका स्त्री प्रथम तीन दिनके भीतर मरै तो तीन वर्ष का (त्र्यब्द) प्रायश्चित्त होता है उसके बाद तीन दिन अर्थात् छ दिन के भीतर

मरे तो दो वर्ष का (द्वयब्द) प्रायश्चित्त होता है उसके बाद तीन दिन अर्थात् प्रसव दिन के नव दिन के भीतर मरै तो (एकाब्द) एक वर्ष का प्रायश्चित्त होता है दशम दिन यदि मरै तो तीन कृच्छ्र करै कहीं का यह भी मत है कि एक मास तक तीन कृच्छ करै यह प्रायश्चित्त करके पूर्वोक्त विधि से दाह करै। मिताक्षरा में यह लिखा है कि एक घड़े में जल लेकर उसमें पञ्चगव्य छोड़ कर पुण्य मन्त्रों से "आपोहिष्ठा कामदेव्या इत्यादि वारुण मन्त्रों से उस जल को अभिमन्त्रण करके पूर्वोक्त मन्त्रों से स्नान करा के विधि पूर्वक सूतिका का दाह करे यही विशेष है ॥



गर्भिणी के मरण की विधि ।

मरी हुई गर्भिणी के शुद्धि के लिये तैंतीस ३३ कृच्छ करके गौ भूमि सुवर्ण देकर अलग२ दाह करै अर्थात् उस का पेट चीर कर बालक निकाल कर यदि जीता हो तो विधि से ग्राम में लेजाय मरा हो तो भूमि में गाड़ दे और पीछे विधि पूर्वक उस स्त्री का दाह करै। सगर्भ रहने से उसके बध का प्रायश्चित्त होता है सगर्भा के दाह करने वाले को तीन वर्ष का प्रायश्चित्त होता है ॥



दाहाधिकारी निर्णय।

श्राद्ध करने में या दाह करने में औरसपुत्र मुख्य अधिकारी होता है यदि बहुत औरसपुत्र हों तो ज्येष्ठ का अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ न हो वा कहीं दूर हो वा पतित हो गया हो तो सर्वथा कनिष्ट को अधिकार है। यदि पुत्र अलग अलग हो गये हों तो ज्येष्ठ और सब कनिष्ठों से धन लेकर सब क्रिया करै। ज्येष्ठ पुत्र यदि कहीं गया हो तो कनिष्ठपुत्र षोडसश्राद्धान्त सब क्रिया करके वर्ष भर तक ज्येष्ठ की प्रतीक्षा करै यदि ज्येष्ठ वर्षके भीतर चला आवे तो शेष क्रिया ज्येष्ठ करै वर्षभर के भीतर यदि ज्येष्ठ नहींआवे तो सब शेष क्रिया कनिष्ठही करै। यदि पुत्र कहीं गया हो और उसके अभावमें दूसरा कोई क्रिया किये हो तो एक वर्ष के भीतर दश गात्र को छोड़ कर शेष क्रिया फिर पुत्र करै। इसी तरह यदि वर्ष के भीतर सब क्रिया कनिष्ठ कर दिये हो तो दश गात्र छोड़ कर शेष क्रिया को पुनः ज्येष्ठ करै। कनिष्ठ यदि साग्निक हो तो बारहवें दिन सपिण्डीकरण करै। यदि औरसपुत्र न हों तो दत्तक करै दत्तक न हो तो पौत्र करै। पौत्र न हो तो प्रपौत्र करै। और कोई ऐसा कहते हैं कि औरस के अभाव में पौत्र पौत्राभाव में प्रपौत्र प्रपौत्राभाव में दत्तक करै। यदि पौत्र उपनीत न हो और पुत्र अनुपनीत हो तो अनुपनीत पुत्रही का अधिकार है। सो भी चूड़ा कर्म किये हुएही का। जो अधिकावस्था का होगया हो वा

पूर्ण तीन वर्ष का होगया हो उसको चूड़ा न होने पर भी अधिकार है। अनुपनीत जो बालक हो सो भी मन्त्र पाठ सहित माता पिता का और्ध्वदैहिक कार्य करे और सांवत्सरिक इत्यादि भी करै। यदि अशक्त हो तो केवल समन्त्रक दाह मात्र अनुपनीत करै। और सब और कोई करै। इसी तरह दर्श महालयादि श्राद्ध में भी संकल्प मात्र करै। कोई कहते हैं कि जो तीन वर्ष की अवस्था से कम हो वा चूड़ा जिसका न भया हो सो भी समन्त्र दाह करै। शेष दूसरे से करावै। दत्तक उपनीतही अधिकारी होता है। दत्तक और प्रपौत्र न हो तो मृत पुरुष की स्त्री अधिकारिणी होती है। और स्त्री का पुरुष अधिकारी होता है। यदि सपत्नी (सौतेला) पुत्र हो तो माता को भी अधिकार नहीं है। स्त्री को भी समन्त्रक दाह का अधिकार है। यदि अशक्त हो तो अग्निदान मात्र समन्त्रक करै शेष क्रिया दूसरा कोई करै। और श्राद्ध में संकल्प मात्र करै और सब क्रिया दूसरा करै।

यद्यपि भाई विभक्त हो (अलग होगया हो) वा विभक्त होकर एक साथ हो धन ग्रहण करने का अधिकार भाईही को है तौ भी दाहादि क्रिया का अधिकार स्त्री कोही होता है। यदि भ्राता विभक्त और असंसृष्ट (सम्बन्ध रहित) हो तो धनग्रहण का भी अधिकार स्त्रीही को होता है। यदि स्त्री न हो तो कन्या पिण्ड देनेवाली और धनहारिणी होती है परन्तु पिण्ड देने का अधिकार विवाहिता ही को है और धन लेने का अधिकार अवि-

वाहिता को भी है। यदि कन्या न हो तो दौहित्र धन लेने वाला और पिण्ड देनेवाला होता है। दौहित्र न हो तो भ्राता, भ्राता के अभाव में भ्रातृ पुत्र पिण्ड देने वाला या धन ग्रहण करनेवाला होता है। जो पुरुष विभक्त हो वा संसृष्ठ हो यदि उसकी स्त्री न हो तो उसका भ्राता अधिकारी होता है। (संसृष्ट का अर्थ यह है जो पूर्व में अलग होकर पुनः धनादि इकट्ठा करके एक पाक करले) यदि सोदर (सगा) असोदर दोनों भाई हों तो सोदरही का अधिकार है।

यदि ज्येष्ठ कनिष्ठ दोनों भ्राता हों तो कनिष्ट ही को अधिकार है। कनिष्ठ बहुत हो तो मृत मनुष्य के बाद क्रम से छोटे २ का अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ ही कई हों तो मृत मनुष्य से क्रम २ बड़े २ का अधिकार होता है। यदि अपना सहोदर भाई न हो तो सापत्न भ्राता अधिकारी उसमें भी ज्येष्ठ कनिष्ठ का विचार पूर्ववत् ही है। किसी का मत यह है कि मृत मनुष्य वि-भक्ता संसृष्ट हो तो यद्यपि धन ग्रहण का अधिकार उस के कन्या की कन्या वा दौहित्रही को है पर तौ भी दाह करने का अधिकार उसके भाईही को है। क्योंकि सगोत्र के होने पर भिन्न गोत्र को अधिकार नहीं है। भ्राता न हो तो उसका पुत्र अधिकारी है पर यहां भी सोदर भ्राता का पुत्रही मुख्य है।

यदि वह न हो तो सापत्नभ्रातृपुत्र उसके अभाव में पिता, पिता के अभाव में माता, माता के अभाव में

पुत्रपत्नी, वह भी न हो तो भगिनी (बहिन) वहां भी ज्येष्ठ सोदर सापत्न्य इसका विचार भाई के सदृशही होता है। भगिनी न हो तो भागिनेय वहां भी कई के होने में पूर्ववत्। भगिनी पुत्र न हो तो पितृव्य और उसके पुत्रादि अधिकारी होता है। इसके अभाव में सपिण्ड सपिण्ड के अभाव में सोदक,सोदक के अभाव में त्रज अधिकारी होता है। गोत्रज के अभाव में मातामह मातुल इसके बाद मातृ सपिण्ड क्रम से सअधिकारी होता है इसके अभाव में पिता की बहिन के वा माता की बहिन के पुत्र अधिकारी होते हैं। इसके अभाव में पिता के पिता का बहिन के पुत्र पिता के माता का बहिन के पुत्र पिता के मातुलपुत्र इत्यादि पिता के बान्धव अधिकारी होते हैं। इनके अभाव में माता के पिता के भगिने के पुत्र माता की माता की भगिनी के पुत्र माता के मातुल पुत्र इत्यादि मातृबन्धु अधिकारी होते हैं। इन सब के अभाव में शिष्य और शिष्य के अभाव में जामाता इसी तरह जामाता के लिये श्वसुर इसके अभाव में मित्र मित्र के अभाव में ब्राह्मण अधिकारी होता है॥



स्त्री के दाहाधिकारी।

जिसका विवाह न भया हो उसका पिता माता के अभाव में भाई इत्यादि जो स्त्री विवाहिता हो तो उस का पुत्र पुत्राभाव में सपत्नी पुत्र इसके अभाव में पौत्र पौत्राभाव में प्रपौत्र अधिकारी होता है इनके अभाव में पति पति के अभाव में कन्या कन्या के अभाव में दौहित्र इसके अभाव में पति का भ्राता उसका पुत्र स्नुषा पिता भ्राता इनके अभाव में भ्रातृ पुत्रादिक पूर्वोक्त अधिकारी होते हैं। परन्तु सब जगह पुत्र के न रहने पर ही दूसरों का अधिकार है॥



सपिण्डी करण।

जो प्रेत अनाहिताग्नि (अग्निहोत्र नहीं करता हो) हो उसका एक बरस पर या ११ महीने पर या ६ महीने पर या तीन महीने पर वा तीन पक्ष में वा एक महीने पर या बारहवें दिन सपिण्डन करना। जिसका चार पुरुष वर्तमान हो उसका सपिण्डी करण न होने के कारण गर्भाधानादि संस्कार भी नहीं करना। यदि आवश्यक वृद्धि युत कर्म प्राप्त हो तो कनिष्ठ पुत्र भ्राता भ्रातृपुत्र वा अन्य सपिण्ड का शिष्य अथवा अन्य गौणकर्ता (जो मुख्य कर्ता न हो) कुल प्राप्तवृद्धि के लिये सपिण्डन का अपकर्ष करै। (सपिंडन करै) परन्तु जो कार्य पुत्रादि

मुख्य अधिकारी द्वारा हो गया हो वह पुनः नहीं होता परन्तु यदि गौणाधिकारी पुत्रादि द्वारा किया गया हो तो उसको पुनः करना पर एकादशाहान्त कर्म पुनः नहीं होते। तीन दिन का आशौच हो तो ५वें दिन सपिण्डन करै यदि सपिण्डी करण श्राद्ध उक्त समय पर न किया गया हो तो हस्त आर्द्रा रोहिणी और अनूराधा नक्षत्र में करै। जहां पर वर्षान्त सपिण्ड न हो वहां वर्षान्त के दिन पहले संवत्सर विमोक्ष श्राद्ध करके और सपिण्डन करके दूसरे दिन वार्षिक श्राद्ध करै। सपिण्डन का अधिकार मुख्य रूप से ज्येष्ठ पुत्रही को है। यदि ज्येष्ठ पुत्र परदेश हो तो सपिण्डन दूसरा कोई न करे। यदि ज्येष्ठ पुत्र परदेश में हो तो कनिष्ठ षोडस श्राद्ध पर्यन्त करले पुनः उनको ज्येष्ठ न करै। पर सपिण्डन ज्येष्ठही करै। यदि कनिष्ठ आहिताग्नि हो तो सपिण्डन वह भी कर सकता है। यदि कोई वृद्धि कार्य आवश्यक आ पड़े तौ भी सपिण्डन कनिष्ठ करै। बिना वृद्धि के यदि कनिष्ठ ने सपिण्डन कर दिया हो तो उसको ज्येष्ठ पुनः करै। परन्तु वहां प्रेत शब्द न कहै पितृ शब्दही का उच्चारण करे॥



व्युत्क्रम (उलटा) मरण में सपिण्डन।

जिसका पिता मरा हो और पितामह जीता हो तो वह प्रपिता महादि तीन पिण्ड देवे। और उन्हीं के साथ पितृ पिण्ड का संयोग करै। यदि माता मरी हो पितामही जीती हो तो वहां इसी तरह प्रपितामही इत्यादि को तीन पिण्ड देना। इसी तरह पितामह यदि जीता हो तो उसके पित्रादि के साथ करना। और जो कि किसी ने यह कहा है कि व्युत्क्रम से मरे हुए का सपिडण्न नहीं करना। सो मातृ पितृ भर्तृ भिन्न में जानना। जब प्रपिता महादि के साथ पिता का सपिण्डन हो गया हो बाद यदि पितामह मरे तो पिता के साथ सपिण्डन नहीं करना प्रपितामहादिकों के ही साथ करना। और यदि पिता के सपिण्डन के पहले पितामह मरे तो पहले-पितामह का सपिण्डन करके पिता का सपिण्डन उसी के साथ करे।

यदि पिता के मरने के बाद पितामह या प्रपितामह मरैं और उनका सपिण्डन का अधिकारी यदि परदेश में हो तो उनका दाहादि एकादशाह पर्यन्त कर्म करके सपिण्डन हीन जो पितामह वा प्रपितामह उन्हीं के साथ पिता का सपिण्डन करे। पितामह प्रपितामह का यदि दूसरा पुत्र न हो तो पौत्र या प्रपौत्र उनका सपिण्डन करै। यदि पितामह को पुत्रान्तर न हो तो पौत्र मासिकादि सपिण्डी करण तक श्राद्ध करै वार्षिक करने का

आवश्यक नहीं और यदि करे तो विशेष फल का भागी होता है। यदि पिता का दाह करने के बाद दशाह के भीतर यदि पुत्र मर जाय तो उसका पुत्र अपने पिता का और्ध्वदेहिक (मृतक क्रिया) समाप्त करके पुनः अपने पितामह का और्ध्वदेहिक क्रिया करे। यदि दशाह बीत गया हो तो पुनः करने का आवश्यक नहीं है। पुत्रान्तर के अभाव में पितामह के सपिण्डन के वाद पिता का सपिण्डन कहा गया है। यदि अशक्ति वश से पिता की आज्ञा से पुत्र पितामह का और्ध्वदेहिक कर्म कर रहा हो उसी वीच में यदि उसका पिता मर जाय तो पिता का अशौच रखता ही हुआ वह अपने पितामह का और्ध्व-देहिक कर्म करे॥



स्त्री के सपिण्डन की धिधि ।

पितामही इत्यादि के साथ माता का सपिंडन करना। कोई कहते हैं कि पिता के मरने के बाद यदि माता मरे तो पिताही के साथ माता का सपिण्डन करना। दौहित्र (कन्या का पुत्र) यदि सपिंडन करता हो तो मातामह के साथ सपिंडन करे यह भी किसीका मत है। यदि पिता के साथही माता मरी हो तो पिता के साथही सपिंडन करना। परन्तु किसी के साथ सपिंडन हो अन्वष्ट (श्राद्ध) का प्रति वार्षिकादि श्राद्ध में पितामही इत्यादि के साथ ही माता को पार्वण करना। (पौष माघ और फाल्गुन

के कृष्णपक्ष की अष्टमी को नवपिण्ड का श्राद्ध जो किया जाता है उसको अष्टक कहते हैं और इन्हीं महीनों के नवमी को जो श्राद्ध होता है उसको अन्वष्टक कहते हैं।

कोई कहते हैं कि स्त्रियों को यदि पुत्र न हो वा सपत्नी पुत्र न हो या पती न हो तो सपिंडन नहीं होता यह हारीत ऋषी का मत है कि स्त्री का सपिंडन पुत्रही करै और पुरुष का सपिंडन उसके भ्रातृ पुत्रादिक भी कर सकते हैं। और मार्कन्डेय ने भी ऐसाही कहा है कि पुत्र के न रहने पर स्त्री का सपिंडन नहीं होता।

अन्वारोहण (पति के साथ मरना) में पती के साथ स्त्री का सपिंडन करने में दो मत है पहला यह है कि पहले पिता के पिंड को पितामहादि के पिंड के साथ संयोग करके पीछे माता का पिंड पिता महादि के पिंड केसाथ संयोजन करना। दूसरा प्रकार यह है कि पहले माता के पिण्ड को पिता के पिंड के साथ संयोजन करके माता के पिंड के साथ संयुक्त जो पिता का पिंड उसको पिता महादि के साथ जोड़ना।

यहा पर द्वितीय पक्षही मुख्य है। कोई कहते हैं कि सहगमन में वा एक साथही मरने में स्त्री का अलग सपिण्डन नहीं होता। पति के सपिण्डन के साथही स्त्री का भी सपिन्डन किया हुआ होजाता है। यह भी किसी का मत है। यदि कोई नहीं हो तो स्त्रीही अपने पति का सपिण्डन अमन्त्रक करै। और उसके बाद पार्वण करै। और अपुत्रा जो स्त्री हो उसका पति श्वश्रू इत्यादि के

साथ सपिण्डन करै। किसी का यह मत है कि जो ब्रह्मचारी हो वा सन्तान हीन हो वा जो व्युत्क्रम मरा हो उसका सपिण्डन नहीं करना। परन्तु यह शिष्टाचार में प्रचलित नहीं है। यती (जोगी) का सपिण्डन नहीं होता परन्तु सपिण्डन के स्थान में एकादश दिन पर पार्वण करना। सपिण्डन श्राद्ध अन्नही से करना आम (आमान्न) इत्यादि से न करना मासिक श्राद्ध भी अन्नही से करना सपिण्डन के दूसरे दिन पाथेय श्राद्ध करके पुण्याहवाचनादि करके नित्य एक वर्ष तक उदक कुम्भ श्राद्ध करे। अशक्त हो तो मासिकही के साथ उदक कुम्भ देवे। सपिंडी करण में पहले जो नियम हैं सो चारही पुरुष तक के लिये है। महागुरू के सपिण्डन करने के बाद महातीर्थ का गमन उपवासव्रत दूसरों का सपिंडीश्राद्ध एक बरस तक नहीं करना। पत्नी पुत्र पौत्र भ्राता भ्रातृपुत्र पुत्र बधू माता पितृव्य (पिता का भाई) इन सभों का महागुरू के मरने में भी सपिंडी करण करे। अन्यथा न करे। माता पिता के मरने के बाद दूसरों का एकादशाह पर्यन्त श्राद्ध करे शेष क्रिया अन्य पुरुष करे।

तीर्थश्राद्ध गयाश्राद्ध और जो पैत्रिकश्राद्ध हो महा गुरू (माता पिता) के मरने के एक बरस के भीतर नहीं करना। कोई कहते हैं कि यह सब निषेध वर्षान्त सपिण्डन पक्ष में है। द्वादशाह सपिण्डन पक्ष में नहीं है और किसी का यह मत है कि द्वादशाह सपिण्डन हो वा वार्षिक सपिंडन हो सबके लिये यह निषेध है क्योंकि वर्ष

दिन पर सपिण्डीकरण के बाद मरा मनुष्य प्रेत शरीर को छोड़ कर भोगदेह को प्राप्त करता है। इसलिये सपिण्डीकरण करने पर भी वृद्धि में दैवकार्य में पितृकार्य में मनुष्य का अधिकार नहीं है। परन्तु वृद्धि के लिये यदि अपकर्ष किया गया हो (पहले किया गया हो) तो वृद्धि इत्यादिक में अधिकार होता है। ऐसा मालूम होता है। इसी लिये कालतत्त्व निर्णय में कहा है कि जिसका माता पिता मरा हो वह भी सङ्कटादिक में जिसका पिता मरा हो वा जो आपत्ति में युक्त हो उसका संस्कार अथवा आभ्युदयिकश्राद्ध वा अपने संतति का संस्कारादिक पहले वर्ष में भी कर सकता है। दर्शमहालयादि श्राद्ध और नित्य तर्पण को भी यही व्यवस्था जानना। जिसका पिता मरा हो परन्तु पितामह जीता हो वह अपने पिता को और प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह को पिण्डदान करे। इसी तरह पिता और पितामह के मरने में और प्रपितामह के जीते रहने पर भी व्यवस्था जानना।

जो छ बरस का न भया हो उसका पूर्व क्रिया मात्र (दशगात्र) ही करना और जो दो बरस का भी नहीं भया हो उसको पूर्व क्रिया भी नहीं होती केवल खनन मात्र होता है। कोई कहते हैं कि त्रिवर्ण में छ बरस से पहले के बालक का और अपरिणीत (बिना विवाह भया) जो स्त्री और शूद्र इनका भी त्रिविधा (दाह दशगात्र और एकादशाह) क्रिया अनुग्रह से करना आवश्यक नहीं है। ऐसा शुद्धिविवेक में लिखा है। श्राद्ध के समय वा विवा-

हादिक में यदि कर्ता की स्त्री रजस्वला होजाय तो यदि दर्शादि (अमावास्यादि) श्राद्ध हो और अन्न से होने वाला हो तो उसी दिन अमान्न से करना । किसी का मत है कि पांचवें दिन करना । प्रत्याब्दिक (हर वर्ष का) वा आब्दिक (वरस) श्राद्ध हो तो उसी दिन करना । या पांचवें दिन करना यहां ग्रन्थों की सम्मती ऐसी है कि यदि दूसरी स्त्री हो तो उसी दिन करै और रजस्वला का दर्शनादिक त्याग करदे । यदि ऐसा स्थान न हो और अपना सपिण्ड पाककर्ता न हो तो पाचवें दिन करै । जो अपुत्रा स्त्री को अपने पति का वार्षिकादि श्राद्ध करना हो और रजस्वला हो जाय तो पांचवें दिन करै । दूसरे के द्वारा भी उस दिन नहीं करै । विवाह में व्रत में चूडाकरण में यदि माता रजस्वला हो जाय तो उसके शुद्धि के बाद उन कृत्यों को करना ऐसा मनु ने कहा है । नान्दि श्राद्ध के बाद यदि माता रजस्वला हो जाय तो शान्ति विनायक शान्ति करके उस कृत्य को करना । कोई ऐसा कहते हैं कि यदि दूसरा मुहूर्त नहीं मिलता हो तब श्रीपूजनादि विधि से शान्ति करके उस कृत्य को करना । यदि मातुल वा पितृव्यादि कर्ता हों तो उनकी स्त्री के रजस्वला होने पर भी कोई शुभ कृत्य नहीं करना । विवाह, व्रत, यज्ञ, श्राद्ध, होम, पूजन, जप यह सब आरम्भ हो गये हों तो सूतक नहीं होता न आरम्भ भये हों तभी होता है ।

विवाह के पहिले कन्या यदि पुष्पवती होजाय तो माता पिता भ्राता इन तीनों को नरक होता है और कन्या

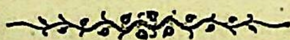
वृषली (शूद्रा के तुल्य) होती है। और उसका पति वृषली पति कहलाता है। यहां पर शुद्धि करनेकी यही रीति है कि दाता ऋतु संख्या तुल्य गोदान करे वा एक गोदान करे यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे तो दान करने के योग्य होता है। और कन्या तीन उपास करे अन्त में गो का दुग्ध पीवे ब्राह्मण की कन्या को (जिसको रजोधर्म न भया हो) आभूषण देवे तो विवाह योग्य होती है। और वर कुष्मांड हवन करके उसका पाणिग्रहण करे तो दोष नहीं होता। यदि विवाह समय मेंही कन्या रजस्वला होजाय तो उसको स्नान करा करके युञ्जान इत्यादि तैत्तरीय शाखा के मन्त्र से प्रायश्चित्त हवन करके हवन कृत्य समाप्त करे। यहां न तो वरही को दोष होता है न कन्या कोही दोष होता है॥



नान्दीश्राद्ध का निर्णय ।

जिस वर्ग के आदि का पुरुष जीता हो उस वर्ग के नान्दिश्राद्ध का लोप होता है अर्थात् उस वर्ग का नान्दिश्राद्ध न करना। नान्दिश्राद्ध में तीन वर्ग होता है पितृ पितामह प्रपितामह ये पितृवर्ग हैं मातृ पितामही प्रपितामही ये मातृवर्ग हैं मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामह ये मातामह वर्ग कहे जाते हैं। जिसका पिता जीता हो वह भी अपने पुत्रादिक के संस्कार में नान्दिश्राद्ध कर सकता है। जिसका पिता माता मातामह ये जीवित हों

उसको नान्दिश्राद्ध का काम नहीं। द्वितीय विवाह में अधानादिक गर्भादिक में स्वयं संस्कार्य (जिसका संस्कार होनेवाला हो) भी नान्दिश्राद्ध कर सकता है। जिसका पिता जीता है उसको यदि नान्दिश्राद्ध करना हो तो जिनको जिन को उनका पिता पिण्ड देता हो उनको वह देवे। यदि जिस बालक का यज्ञोपवीत होनेवाला हो और परदेशादि में रहने से उसका पिता उपस्थित न हो सके तो उसके भ्रातादि (भाई वगैरह) जो सम्बन्धि नान्दि-श्राद्ध करे सो (माणवकस्य पितुर्मातृ पितामही प्रपिता-मह्यः) इत्यादि कह कर श्राद्ध करे। जिसका पिता मर गया हो और उसके संस्कार के समय जो उसके चाचा भाई इत्यादि नान्दिश्राद्ध करनेवाले हों सो (माणव कस्यमातृ पितामही प्रपितामही) इत्यादि उच्चारण करके श्राद्ध करे। यदि कोई नान्दिश्राद्ध करने वाला न हो तो स्वयं करे। इसी तरह जिसका पिता जीता हो वह भी उसके न रहने पर उसके पित्रादिक का नान्दिश्राद्ध करे। जिसका पिता मरगया हो उसके उपनयन में नान्दिश्राद्ध करनेवाले उसके चाचा इत्यादि (संस्कार्यस्य पितृ पिता-मह) इत्यादि कह कर श्राद्ध करे। जीता हुआ पिता वर्तमान हो तो मातुल इत्यादि भी नान्दिश्राद्ध कर सकते हैं॥



श्राद्ध में ग्राह्यपुष्प ।

भृङ्गराज अगस्त तुलसी कमल चम्पा तिल पुष्प दूर्वा ये पुष्प पितरों को प्रिय है। कोमल २ पुष्पों से दूर्वाङ्कुर से जलोद्भव फूलों से मालती आम्र और तगर इन पुष्पों से पितरों का पूजन करना । जाती पुष्प से विप्रपूजा वगैरह करना पितरों का पूजन नहीं करना॥

करवीर धतूर विल्वपत्र केतकी बकुल (मौलेसरी) कुन्द किंशुक (सेमर) कुरन्टिका और सम्पूर्ण लालपुष्पों को श्राद्ध में त्याग करना परन्तु जल में उत्पन्न होने वाले लाल पुष्पों को भी श्राद्धकर्म में लाना ॥

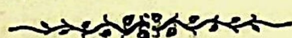


प्रेत क्रिया करने का मुहूर्त विचार ।

यदि कालान्तर में प्रेतकृत्य करना हो तो समय शुद्ध करके करना । यदि सम्वत्सर के बाद करना हो तो उत्तरायण काल श्रेष्ठ है। कृष्णपक्ष शुभ है। कृष्णपक्ष में भी नन्दा तिथि त्रयोदशी चतुर्दशी त्याज्य करना। शुक्र शनि और मङ्गलवार त्याग करना । भरणी कृत्तिका श्लेषा मघा धनिष्ठादि ५ त्रिपुष्कर योग यह सब अत्यन्त निषिद्ध हैं। व्यतीपात परिघ वैधृति ये योग निषिद्ध हैं। विष्टिकरण निषिद्ध है। चतुर्थ अष्टम और द्वादश में के चन्द्रमा निषिद्ध है। जन्म और प्रत्यरितारा अशुभ है। रोहिणी पुनर्वसु पूर्वा ३ उत्तरा चित्रा विशाखा अनुराधा मृगशीर्ष द्विपुष्कर ये नक्षत्र मध्यम है। इनको यथासंभव त्याग करना शेष नक्षत्र वारादि शुभ हैं॥

गया श्राद्ध विचार ।

वायुपुराण में लिखा है कि गयाश्राद्ध सर्वदा करना। अधिमास में जन्म दिन में वृहस्पति शुक्र के अस्त में सिंह के वृहस्पति में सर्वदा गयाश्राद्ध करना। महालय में गया में माता पिता के क्षय दिन में विवाह करने के बाद भी पिन्डदान करना। मरे हुए का गयाश्राद्ध एक वर्ष के बाद करना। इस विषय में किसी का यह मत है कि जब वर्षान्त में सपिन्डन करना हो तभी वर्ष के बाद करना अन्यथा वर्ष भीतर भी करना ॥



पञ्चक में मरने का विशेष ।

पञ्चक में मरने में या दाह में शान्ति पुत्तलिक करना। यदि केवल पञ्चक में मराही हो दाह करना नहीं हो तो शान्तिही करना पुत्तलिक नहीं करना। यदि पञ्चक में दाहही करना हो मरा न हो तो पञ्च पुत्तलिका के साथ दाहही करना शान्ति नहीं करना। पुत्तलिका पांच कुश का बनावना यव के पीष्ट से लिप्त करना पञ्चऊर्णा सूत्र (उनका सूत्र) से वेष्ठित करना नक्षत्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करना। बाद प्रथम सिर पर द्वितीय नेत्रों पर त्रितीयवाम कुक्षि में चतुर्थ नाभी में पञ्चम पादों पर। प्रेत वाह प्रेत मित्र प्रेत पति प्रेत भूमिप प्रेत हर्ता इस नाम से पञ्चाहुति देना। इसी रीति त्रिपुष्कर योग में भी। त्रिपुष्कर योग में मरने पर या दाह करने में शान्ति पुत्तलक करना पर पञ्चक की विधि से नहीं करना ॥

ग्रहण की व्यवस्था ।

रविवार को सूर्यग्रहण चन्द्रवार को चन्द्रग्रहण हो तो चूडामणियोग होता है उसमें दान पुण्य करने में अनन्त फल होते हैं ग्रहण में स्नान अमन्त्रक करना । ग्रहण में स्नान दानादि सूतक में भी करना । रजस्वला के लिये यह विशेष है कि रजस्वला तीर्थ से अलग जल लेकर स्नान करे स्नान करके अपने वस्त्र को पीडन न करै (नहीं निचोड़े) और न दूसराही वस्त्र पहरे । ग्रहण के तीन दिन पहले से उपवास करके अथवा एक दिन उपवास करके स्नानादि करने में बहुत पुण्य लिखा हैं । एक रात्र के उपवास में ग्रहण दिन से पूर्व उपवास करना यह किसी का मत है ग्रहण के दिन उपवास करना यह भी कोई कहते हैं । ग्रहण में देवतर्पण और पितृतर्पण भी करना। मन्त्र ग्रहण करनेमें ग्रहण में मासादि (शोधन) का विचार नहीं करना । मन्त्र ग्रहण (दीक्षा) में सूर्यगृहण श्रेष्ठहै चन्द्रग्रहण उत्तम नहीं है । ग्रहण के समय में शयन करने से रोग मूत्रपात करने से दारिद्र पुरीषोत्सर्ग (झाड़ा) करने से कृमी होता है मैथुन करने से ग्राम्य शूकर होता है तेल लगाने से कुष्टी भोजन करने से नरक होता है । ग्रहण से पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद नहीं खाना । परन्तु काञ्जी तक्र (माठा) घृत में पकाया वा तैल में पकाया अन्न दूध ये सब पूर्व का भी ग्रहण करना । जो पदार्थ पूर्व में बना हो उसको कुश से आच्छादित कर देना । सूर्य के ग्रहण में

चार प्रहर पहले से भोजन नहीं करना चन्द्रग्रहण में ३ प्रहर पहले से भोजन नहीं करना यदि दिन के प्रथम प्रहर में सूर्यग्रहण हो तो पूर्व रात्रि में न खाना । दिन के द्वितीय प्रहरादिक में यदि ग्रहण हो तो पूर्व रात्रि के द्वितीय प्रहरादि में न खाना । इसी तरह चन्द्रग्रहण रात्रि के प्रथम प्रहरादि में हों तो दिन के द्वितीय प्रहरादि से न खाना । बाल वृद्धातुर को केवल डेढ़ प्रहरही ग्रहण सूतक होता है । जो शक्त पुरुष वेधकाल में भोजन करे तो तीन दिन उपवास प्रायश्चित्त करै । ग्रहण समय में भोजन करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना चाहिये । ग्रस्तास्त ग्रस्तोदय में चार प्रहर वेध से पूर्व दिन में भी भोजन नहीं करना कोई कहते हैं कि चन्द्रमा का पूर्णग्रास हो तो चार प्रहर खण्ड ग्रास में तीन प्रहर वेध होता है यदि ग्रस्तास्त हो जाय तो दूसरे दिन उदय देख करके स्नान कर शुद्ध हो व्यवहार करे । सूर्य ग्रस्तास्त होने पर छः मुहूर्त वेध को छोड़ कर ग्रहण से पहले भोजन करना यह भी कोई कहते हैं । चन्द्रमा का यदि ग्रस्तास्त हो जाय तो दूसरे दिन सन्ध्या होमादिक में दोष नहीं है । यदि ग्रहण के दिन पित्रादि श्राद्ध प्राप्त हो तो आमश्राद्ध या सुवर्ण श्राद्ध करना । जन्म राशि से तीसरे छठे दशम एकादश ग्रहण अच्छा होता है । द्वितीय सप्तम पञ्चम नवम मध्यम जन्म चतुर्थ अष्टम द्वादश राशि में ग्रहण अनिष्ठ होता है । जिसके जन्मराशि वा जन्म नक्षत्र में गृहण हो उसको वहुत अनिष्ट है उसके लिये गर्गादि ऋषियों के

कथनानुसार शान्ति करना। रवि चन्द्रमा का प्रतिमा दान करना राहुग्रस्त रवि चन्द्रमा का दर्शन नहीं करना। जिसको अनिष्ठ न हो वह भी वस्त्रादिक का आवरण कर के ग्रहण देखे साक्षात नहीं देखे। मङ्गल कृत्य में पूर्ण ग्रास में चन्द्रग्रहण में द्वादशी से तृतीया तक सात दिन त्याग करना सूर्यग्रहण में एकादशी से चतुर्दशी पर्यन्त ९ दिन त्याग करना खण्डग्रास में चतुर्दशी से तीन दिन त्याग करना ग्रहण लगे अस्त हो जाय तो पूर्व में ३ दिन ग्रहणलगे उदय हो तो ग्रहण के बाद ३ दिन ग्रहण के नक्षत्र को पूर्णग्रास में छ महीना अर्ध ग्रास में ३ महीना पादग्रास में एक महीना त्याग करना। ग्रहण के पहले संकल्प किया हुआ द्रव्य यदि ग्रहण के बाद देना हो तो दूना करके देना॥



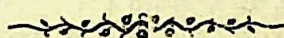
पात्र शुद्धि।

सुवर्ण रूप्य शंख शुक्ति स्फटिक लोहा प्रस्तर ताम्र पित्तल कांस्य जस्ता सीसा इसके पात्र केवल जल से शुद्ध होते हैं। शूद्र के उच्छिष्ट से युक्त पात्र हो वह क्षारोदक आम्लोदक से यथायोग्य शुद्ध होते हैं। जो बहुत दिन तक शूद्रोच्छिष्ट में रह गया हो उसको तीन बार क्षारोदक से प्रक्षालन (धोना) कर अग्नि में जला (तपा) कर शुद्ध करना एक बार श्वान काक और शूद्रोच्छिष्ट जो कांस्य

पात्र हो या जिसको गौ ने सुंघा हो १० बार क्षारोदक से प्रक्षालन करने से (धो करके) शुद्ध होता है अनेक बार जो श्वान काक और शूद्र से उच्छिष्ट (जूठा) हो गया हो उसको २१ बार क्षारोदक (भस्म और जल) से धोने से शुद्धि होती है।

ब्राह्मण क्षत्री वैश्य के जिस कांस पात्र में शूद्र भोजन किया हो उसको चार वार मल कर अग्नि में क्षेपण (तपाने) करके हाथ धोकर उस पात्र को निकाल ले तो शुद्ध होता हैं। जो कांस्य पात्र सूतिका का उच्छिष्ट हो या मद्यादि से एकही बार भ्रष्ट भया हो उसको अग्नि में तपाने से शुद्धि होती है। जो मद्यादि से बारम्बार भ्रष्ठ भया हो उसको पुनर्वार तपाने से शुद्धि होती है। जिस काँस पात्र में कोई गेड (कुल्ला) किया हो वा पाद प्रक्षालन किया हो उसको छ महीना पृथ्वी में गाड़ देने के बाद अग्नि में तपाने से शुद्धि होती है। मूत्र पुरीष आदि शरीर मल से जो तेजस (धातु) पात्र दुष्ट भया हो उसको सात रात्रि गोमूत्र में वा महानदी में रखने से शुद्धि होती है। जो पात्र अनेकबार मूत्रपुरीष आदि से दूषित भया हो वा जो पात्र शव (मृतक) सूतिका रजस्वला इनके संसर्ग से दूषित भया हो उसको तीन बार क्षारोदक से शुद्ध कर जितनी देर में वह अग्नि में गल न जाय उतनी देर अग्नि में रखने से शुद्ध होता है। जो पात्र बहुत दिन तक मूत्र पूरिषादि से अनेक बार दूषित भया हो उसको पुनः संघटन (बनाना) से शुद्धि होती है। लौहपात्र अग्नि में

जलाने से शुद्धि होता है अथवा भस्म से गोमय से शुद्धि होती है। तपाने से वा भूमि में खोद कर रखने से जल से पत्थर के पात्रों की शुद्धि होती है। काष्ठ के पात्रों को तत्क्षण गोमय से और जल से शुद्धि होती है। मृण्मय (मिट्टी) के पात्रों की जलाने से शुद्धि होती है। दन्त शृङ्ग शंख शुक्ती इनकी जल युत वालुका से शुद्धि अत्यन्त दूषित होने पर शुद्धि होती है। अन्यथा जल सेही शुद्धि होता है। सुवर्ण पात्र रजत (चांदी) पात्र जल से कमण्डलू क्षार (भस्म) और जल से शुद्ध होते हैं॥



वस्त्र शुद्धि ।

रोम के वस्त्रों की सहस्रों शुद्धि वायु से वा सूर्य चन्द्र अग्नि के किरणों से होती है। रेतःस्पृष्ट (वीर्य से) हो वा शव (मृतक) स्पृष्ट हो आविक (पशमीना) दूषित नहीं होता (आविक छागादि के लोम से बना हुआ) अत्यन्त दूषित जो वस्त्र होगया हो और उसका विकार धोने से न जाता हो तो उसको काट देना।

चमसों यज्ञपात्र की शुद्धि प्रक्षालन से होती है। कृष्णा (कालामृग) जिन्हों की बाल से शुद्धि होती है। बालों की (चामरों की) शुद्धि जल से वा मृत्तिका से होती है। अस्थि से बने हुए या दन्त से बने हुए की गोमूत्र से शुद्धि होती है क्षोम (रेशम) पट्टवस्त्र की शुद्धि गौरसर्प से होती है। यज्ञ में यज्ञपात्रों की शुद्धि हस्तही से होती है। चरू की शुद्धि स्रुवा की शुद्धि उष्ण (गर्म) जल से होती है॥

सुवर्ण रजत और धान्यादि प्रमाण ।

१०० पल १ तुला, २० तुला १ भार, १०० भार १ आचित वा शाकट, २० वन्टक (घौड़ी) १ काकिणी, ८० वराटक का १ पण, १२८० वराटक वा १६ पण का १ द्रम्म (चौअन्नी) १ कार्षापण १ कार्षिक १६ द्रम्म का १ निष्क ।

४ मासा चांदी १ कार्षापण, २ यव का १ गुञ्जा (घुंघुची) ३ गुञ्जा १ वल्ल, ८ वल्ल १ धरण, २ धरण का १ गद्याणक, १४ वल्ल का १ घटक । वर्तमान रीति यह है कि १० मासा १ कर्ष ४० मासा १ पल १२ मासा १ तोला, १० मासा १ भरी ॥

कृच्छ्रादि व्रत निर्णय ।

समूचा दिन बिताकर डेढ़ पहर रात के भीतर प्रमाण पूर्वक भोजन करै यह नक्त व्रत कहाता है एक दिन रात भोजन नहीं करै यह उपवास है तीन दिन प्रातःकाल ३ दिन सायंकाल ३ दिन बिना याचना किये हुए भोजन करै फिर ३ दिन कुछ न खाय, इसी का नाम प्राजापत्य है ॥३॥ सायंकाल २२ ग्रास, प्रातः २६ ग्रास, यथाचित्त में २३ प्रातःकाल १२ वा १५ सायंकाल में भोजन करै । प्राजापत्यही का नाम कृच्छ्र है । दो दिन प्रातःकाल दो दिन सायंकाल दो दिन बिना याचना किये भोजन करै बाद दो दिन उपवास करै यह पादोन कृच्छ्र कहलाता है ॥४॥

तीन दिन एक भुक्त ३ दिन अयाचित ३ दिन उपवास यह भी पादोन कृच्छ्र होता है। १ दिन सायंकाल में १ दिन प्रातःकाल में २ दिन अयाचित २ दिन उपवास यह कृच्छार्ध कहाता है॥ ५॥ १ दिन प्रातःकाल में १ दिन सायंकाल में एक दिन अयाचित (बिना मांगे) भोजन करै फिर एक दिन उपवास करै यह पादकृच्छ्र (इसी को शिशुकृच्छ्र कहते हैं) ॥ ६॥ ब्राह्मणादि वर्ण के क्रम से ३ दिन उपवास ३ दिन अयाचित ३ दिन रात्रि में खाय ३ दिन एक भक्त यही पादकृच्छ्र भया यह आपस्तम्ब ऋषी का मत है॥७॥और यही पाणि पूरान्न भोजन से (अर्थात् पहले जो ग्रास का नियम कहचुके हैं उसको छोड़ कर जितना एक हाथ में आ सके उतनाही खाने से) अति कृच्छ्र कहलाता है॥ ८॥ अथवा नव दिन एक एक ग्रास खाय अन्त्य का ३ दिन उपवास करै यह अतिकृच्छ्र मनु ने कहा है। चतुर्विंशति मत से तीन प्राजापत्य को अतिकृच्छ्र कहते हैं॥ ९॥

२१ दिन जल पीकर रहै सो भी प्रातःकाल १ बार मध्यान्ह में १ बार सायंकाल में १ बार यह कृच्छ्राति कृच्छ्र कहलाता है॥ १०॥ द्विगुण अति कृच्छ्र कृच्छ्राति कृच्छ्र यह यम का मत है इसलिये यह ६ प्राजापत्य के तुल्य भया॥ ११॥

एक दिन गर्म जल एक दिन गर्म दूध एक दिन गर्म घृत पान करे एक दिन गर्मजल से निकला भाष्प अथवा उष्ण अङ्गीर से वास्प पान करे यह तप्तकृच्छ्र कहलाता है।

यहां जल का मान ६ पल दुग्ध ३ पल घी १ पल जानना॥१२॥ और यही सब चीज इस तरह शीतल करके खाय तो शीतकृच्छ्र कहलाता है ॥ १३ ॥ पलास पत्र १ गूलर का पत्र १ कमल का पत्र १ बिल्वपत्र १ कुश इन सभों का क्वाथ करके एक २ दिन पीवे तो पर्णकृच्छ्र कहा जाता है यह ५ दिन का व्रत है ॥ १४ ॥ इन्हीं सब चीजों को एक में मिला कर क्वाथ करके तीन दिन उपवास के बाद पान करै तो दूसरा पर्णकृच्छ्र (पर्णकूर्च) होता है ॥१५॥ यदि इन्हीं बस्तुओं के फलों का क्वाथ करके एक महीना पीवे तो फलकृच्छ्र कहाता है ॥१६॥ चतुर्दशी को उपवास कर के पूर्णिमा को पंचगव्य पान करै तो ब्रह्मकूर्च होता है ॥



शान्तपन कृच्छ्र ।

पहले दिन गोमूत्र गोमय क्षीर दधि घी कुशोदक इनको मिला करके सात पत्र के अक्षिन्नाग्र (जिसका अग्र तोड़ा न हो) कुश से ईरावती, इदंविष्णु, मानस्तोके, शंवती, इन ऋचाओं से हवन करै हवन करने के बाद शेष को प्रणव से आलोदन करके प्रणव से अभिमन्त्रण करके प्रणव से उठा कर प्रणवही से (पलास के मध्यपत्र में वा कमल के पत्र में या स्वर्णपात्र में वा ताम्रपात्र में वा ब्रह्म तीर्थ में रख करके) पान करै दूसरे दिन उपवास करै तो दो दिन का शान्तपन होता है । पंचगव्य मिलाने की विधि यह है कि गायत्री से गोमूत्र गन्ध द्वारा से गोमय

आप्यायस्व इस करके दुग्ध दधिक्राव्णो करके दही तेजो-सिशुक्र करके घी देवस्यत्वा इस करके कुशोदक मिलावे। बारह दिन उपवास का व्रत पराक नामक होता है॥

पिण्याक मिला हुआ तिल (धोया हुआ तिल) आचाम (भात का पानी) तक्रा (मठा जल) सक्तू (सत्तू) एक २ प्रतिदिन खाय छठवें दिन उपवास करै यह सौम्य कृच्छ्र होता है। अथवा पहले दिन तिलखण्ड दूसरे दिन सक्तू तीसरे दिन मठा चौथे दिन उपवास, यहां वस्त्र दक्षिणा भी देना।

परन्तु जिसमें प्राणरक्षा हो उतनाही तिल इत्यादि खाना पूर्णाहार के बराबर न खाना चाहिये। पिण्याक इत्यादि प्रत्येक पदार्थों को तीन तीन दिन खाय तो १५ दिन का तुला पुरुष होता है। पिण्याकादि पांचो पदार्थों को एक एक दिन खाकर ३ दिन उपवास करै तो ८ दिन का तुला पुरुष होता है। और इन्हीं पांचो पदार्थों को तीन तीन दिन खाकर ६ दिन उपवास (वायु भक्षण) करै तो २१ का तुला पुरुष होता है। तीन दिन गोमूत्र पान करै तीन दिन गोमय भक्षण करै तीन दिन पावक खाय तो श्रीकृच्छ्रहोता है।

जल में पकाये हुए यव को सात दिन वा १५ दिन वा एक महीना खाय तो यावक कृच्छ्र कहलाता है। अनशन (उपवास) करके एक दिन रात जल में रहे तो जल कृच्छ्र कहाता है। अथवा जल सक्तू एक महीना खाय तो तौ भी जल कृच्छ्र कहाता है। एक महीना विल्व फल।

पद्माक्ष (कमलगट्ठा) इनको खाकर महीना दिन रहै तौ भी श्रीकृच्छ्र होता है। गोमूत्र और यावक (कुरथी) पान करके रहे तो वज्र कृच्छ्र होता है।

पहले दिन पञ्चगव्य मात्र खाय दूसरे दिन उपवास करै तो दो दिन का शान्तपन होता है। तीन दिन पञ्च-गव्य खाकर रहै चौथे दिन उपवास करै हवन करै तो यति चान्द्रायण होता है। पञ्चगव्य पांच दिन खाय छठे दिन उपवास करै तो ६ दिन का शान्तपन होता है पहले दिन गोमूत्र दूसरे दिन गोमय तीसरे दिन गोदुग्ध चौथे दिन दधि पांचवें दिन घी छठे दिन कुशोदक सातवें दिन उपवास यह सात दिन का महाशान्तपन व्रत होता है। गोमूत्र गोमय दुग्ध दधि घी ये पांचो वस्तु तीन २ दिन खाय तो १५ दिन का शान्तपन इसी को यणण भी कहते हैं, गोमूत्र गोमय दुग्ध दही घी कुशोदक एक एक तीन तीन दिन भोजन करके तीन दिन उपवास करै तो २१ दिन का शान्तपन अनप संज्ञक होता है। अथवा इनका दो दो दिन पान करै तौ भी एक प्रकार का शान्तपन होता है।

कृष्णपक्ष के प्रतिपत् (पड़िवा) को चौदह ग्रास खाय बाद नित्य एक एक गास कम करै अमावास्या को उप-वास करके शुक्लप्रतिपद से फिर एक २ ग्रास बढ़ावे तो पिपीलिका मध्य चान्द्रायण होता है। ग्रास का प्रमाण मयूर के अण्डे के बराबर अथवा आर्द्र आमलक (विना सूखा आवला) के परावर अथवा कुकुटके अण्ड के बराबर

अथवा जितना मुख में प्रवेश करे । यह जानना शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ावे कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से घटावे तो यह मध्य चान्द्रायण कहलाता है यहां एकादशी इत्यादि व्रत के लोप का दोष नहीं होता । आठ आठ ग्रास नित्य मध्यान्ह में एक महीना भोजन करै यह यति चान्द्रायण कहलाता है । यह चार प्राजापत्य के बराबर है यह वृहद्विष्णुजी कहते हैं । ब्राह्मण चार पिंड सवेरे चार पिण्ड सन्ध्या को खाय तो शिशु चान्द्रायण होता है । हविष्यान्नह का तीन तीन पिण्ड महीने भर नित्य भोजन करै तो ऋषि चान्द्रायण होता है ।

गैया के चारो स्तन का दूध ७ दिन पान करे फिर ७ दिन तीन स्तन का दुग्ध पान करै फिर ७ दिन दो स्तन का दुग्ध पान करै फिर ६ दिन एक स्तन का दुग्ध पान करै फिर तीन दिन उपवास करे तो सोमायन व्रत कहा जाता है ॥



चन्द्रायणादि का प्रत्याम्नाय ।

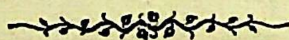
नक्त व्रत (रात्रि व्रत) के बदले दो गुञ्जा तुल्य एक मासा चांदी (रूपा) देना ।

उपवास के लिये तीन मासा रूपा दैना अथवा एक ब्राह्मण भोजन कराना वा सहस्र गायत्री जप वा द्वादश प्राणायाम करना ।

प्राजापत्य के लिये पयस्विनी (व्याई गैया) देना वा उसका पूर्ण मूल्य देना ।

पादोन कृच्छ्र के लिये ९ आना देना । अर्ध कृच्छ्र के लिये ६ आना देना । पाद कृच्छ्र के लिये ३ आना देना । परन्तु यह अशक्त के लिये है । शिशु कृच्छ्र में भी बारह ही पैसे देना । तप्त कृच्छ्र के लिये तीन धेनु वा दो धेनु अथवा चार धेनु देना । अति कृच्छ्र में भी यही जानना । पर्ण कृच्छ्र ब्रह्म कूर्च के लिये धेनु का आधा मूल्य देना और हवन भी करना । पराक के लिये पांच धेनु देना । किसीका यह भी मत है कि दो या तीन धेनु देना सौम्य कृच्छ्र में एक धेनु देना । सान्तपन में चार मासा चांदी देना । महासान्तपन में दो धेनु देना । पिपीलिका मध्य और यव मध्य चान्द्रायण के लिये आठ धेनु देना और उसकी दक्षिणा में बैल के सहित गैया देना । इसी के लिये साढ़े सात धेनु देना यह शूलपाणि का मत है । परन्तु यह बहुत धनी के लिये है । निर्धन के लिये तीन प्राजापत्य करना यति चान्द्रायण और शिशु चान्द्रायण और ऋषि चान्द्रायण के लिये चार धेनु देना वा तीन धेनु देना यह भी किसी का मत है ।

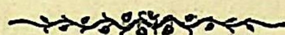
१ पुराण १६ मासा ३६० धेनु द्वादश वार्षिक व्रत में सार्द्धाब्द (डेढ़ वर्ष) के व्रत में ४५ धेनु ३० प्राजापत्य का एकाब्द व्रत ४५ प्राजापत्य का सार्धाब्द व्रत कहाता है ॥



पञ्चगव्य का प्रमाण ।

कृष्ण वर्ण गौ का गोमूत्र श्वेत गौ का गोमय ताम्र वर्ण गौ का दूध रक्तवर्ण गौ का दधि कपिला गौ का घृत अथवा कपिलाही का सब चीज लेना ।

एक पल मूत्र आधे अंगुष्ठे के बराबर गोमय सात पल दुग्ध तीन पल दधि एक पल घृत एक पल कुशोदक यह सब गायत्री से समन्त्रक करे तब पञ्चगव्य पान करे । जहां पञ्चगव्य भोजन करना हो तहां की यह विधि है कि पलास के मध्य के पत्ते में पीवे वा ताम्रपात्र में वा मृणमय पात्र में रख कर पी जाय ॥



पञ्चरत्न ।

सुवर्ण चांदी मुक्ता लाजावर्त मुङ्गा यह पञ्चरत्न हैं। अथवा सुवर्ण हीरा नीलम पद्मराग मोती यह भी पञ्च रत्न कहे जाते हैं। सब रत्नों के अभाव में सुवर्णही ग्रहण करना। ग्रहों के रत्न ये हैं—रविका माणिक्य चन्द्रमा का मोती मङ्गल का मूङ्गा बुध का पाची (पन्ना) बृहस्पति का पुखराज शुक्र का हीरा शनि का नीलम राहु का गोमद केतु का वैदूर्य अथवा राहु केतु दोनों का लाजावर्त लेना ।

पीपल गूलर पाकर आम्र बड़ इनके पल्लव को पञ्चपल्लव कहते हैं। दही घृत मधु चीनी दुग्ध दही पञ्चामृत

है । दुग्ध घृत मधु ये मधुरत्रय कहे जाते हैं । मधुर आम्ल लवण कषाय तिक्त कटुक यह छः रस कहे जाते हैं । कूट जटामासी दोनों हल्दी मुरेरफली शिलाजीत चन्दन बचा चम्पा मुस्त मोथा ये दस सर्वौषधी हैं ।

अश्व के स्थान की हाथी के चतुष्पथ की वल्मीक (दीमक) की नदी के सङ्गम की राजा के द्वार की गौ-शाला का मिट्टी यही सप्त मृत्तिका होती है । सुवर्ण चांदी तांबा पीतल लोहा रांगा सीसा यही सप्त धातु है । यव तिल उर्द धान्य गोधूम प्रियंगु (मालकांगुनी) चना यही सप्तधान्य है । धान्य यव गोधूम कंगुनी तिल मालकांगुनी कोविदार कोरदूषा (कोद्रव) तीना तिनी उर्द मूङ्ग मसूर निस्वाव कुलत्थ (कुरथी) अरहर चना यह १७ धान्य हैं । यव गोधूम धान्य तिल कंगुनी कुरथी उर्द मूङ्ग मसूर निष्पाव श्यामा (सावां) सर्षप (सरसो) गवेधुक नीवार अरहर तीना चणक चीनक ये १८ धान्य है ।

मूल पत्र अग्र फल प्रशाखा प्रशाखा छाल पुष्प करीर (टेटी) कवक यह १० विधशाक है । यव वा धान्य ये हविष्य है उर्द कोद्रव (गौर) इत्यादि को सर्वथा त्याग करना । धान्य साठी मूङ्ग मटर कलाय तिल दुग्ध श्यामक नीवार गोधूम ये पदार्थ व्रत में हित हैं कुष्माण्ड (गोल लउआ) अलाबू वार्ताक (भण्टा) पालकी ज्योत्स्निका (चिचिरा) इत्यादि त्याग करना । भैक्ष (भिख) शक्तु (सत्तु) शाक (साग) दधि घृत मधु श्यामक श्याम शाली (धान) नीवार पालक मूल तण्डुल हविष्य ये

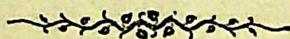
पदार्थ नक्तादि व्रत में हवन इत्यादि में अच्छे हैं। मधु मांसादि छोड़ कर व्रत में भी हीत है।

हेमन्त ऋतु में उत्पन्न होने वाले सिता स्विन्न धान्य मुद्ग यव तिल कला कंगुनी नीवार वास्तुक हिलमोचिका षष्ठिक कालसाक मूलक (केमुक को छोड़ करके) कन्द सैन्धव सामुद्र गोदुग्ध दधि घृत जिस दुग्ध का सार न निकाला हो कटहर आम्र हरीतकी पिप्पली जीरक नागरङ्क इमली कदली लवली आंओला गुड को छोड कर बाकी इक्षु विकार जो पदार्थ तैल में न भया हो इसी को ऋषियों ने हविष्य कहा है।

किसी जीव के अङ्ग का चूर्ण चर्म का जल जम्बीर वीजपूर विना यज्ञ का शेष माषादि जो विष्णु को निवेदित न हो मसूर मांस यह आठ प्रकार के मांस कहे जाते हैं। अर्क (मदार) पलास आदिर अपामार्ग पिप्पल उदुम्बर (गूलर) समी दूर्बा कुश ये नव ग्रहों के समिधा हैं। पञ्चरङ्ग ये हैं। धान के चावल के चूर्ण से वा यव के चूर्ण से श्वेत रङ्ग बनावे। लाल रङ्ग फूल का वा सिन्दूर का वा गेरू इत्यादि का बनावे। हरताल वा हल्दी से पीला रङ्ग यव को जला कर काला रङ्ग बनावे काला पीला मिला कर हरा रङ्ग बनावे।

शतौषधी ये है। अश्मरी १ सहदेवी २ अपराजिता ३ मुरा ४ उशिर ५ बाला ६ अधःपुष्पी ७ शंखपुष्पी ८ जेष्ठीमधु ९ कारक १० चक्राङ्किता ११ विष्णुक्रान्ता १२ शिवक्रान्ता १३ मयूरशिखा १४ काकजंघा १५ भृंगराज

१६ कुमारी १७ हय १८ कर्णिकार १९ अपामार्ग २० बिल्व २१ षरासूला २२ कमल २३ उत्तरा २४ पुत्रजीवा २५ दूर्वा २६ काश २७ कुश २८ शाल २९ नाल ३० चक्र-मर्द ३१ सिंही ३२ काग्री ३३ अर्क ३४ प्लक्ष ३५ पलास ३६ पिप्पल ३७ बट ३८ उदुम्बर ३९ तुलसी ४० उत्पल ४१ शतपत्र ४२ अतशी ४३ सारिवा ४४ कदम्ब ४५ बकुल ४६ शमी ४७ रोहिक ४८ निर्गुण्डी ४९ मुण्डी ५० दण्डी ५१ ब्राह्मी ५२ अशोक ५३ सूर्यभक्ता ५४ रुद्रजटा ५५ कदली ५६ बीजपूर ५७ मदनक ५८ मुसली ५९ पुनर्नवा ६० आम्र ६१ पाटल ६२ श्रीपर्णी ६३ करबीर ६४ चम्पा ६५ गुडूचीर ६६ देवदारु ६७ अगरदा ६८ चन्दन ६९ कुटज ७० शीग्रू ७१ हरिद्रा ७२ जटामासि ७३ बच ७४ कुट ७५ तज ७६ दारुहल्दी ७७ बन्धुत्रीवढ ७८ सिन्दवार ७९ सटी ८० अश्वगन्ध ८१ मुस्ता ८२ कण्टक ८३ पनस ८४ जीवक ८५ जाती ८६ मालती ८७ मधूक ८८ खदिर ८९ सप्तच्छद ९० सिरीष ९१ काकमाची ९२ सतावरी ९३ केतकी ९४ जम्बू ९५ शाका ९६ वेतस ९७ आमलक ९८ सहल ९९ गिरिकर्णी १०० ॥



शिव पूजन के लिये पुष्प ।

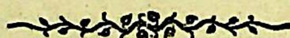
वार्हत कर्णिकार करवीर तिल विल्वपत्र कल्हार अर्क मन्दार मालती चम्पा मोगरक कनक (धतूर) शतपत्र करवीर जाती पाटल (गुलाब) पन्नाम नीलकमल रक्त कमल कदम्ब कुसुम अशोक वकुल पलास मुचकुन्द तुलसी मल्लिका (मालती) यह पुष्प शिव पूजन के लिये ग्राह्य हैं इन पुष्पों से लक्ष पूजन जो करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिये विल्व पत्र शान्ति के लिये दूर्बा आयु के लिये मदार पुत्र के लिये वार्हत सब कार्य के लिये चम्पा धन के लिये चम्पा या तिलपुष्प या पुन्नाग बिद्या के लिये कल्हार या कर्णिकार या मन्दार रोग शान्ति के लिये पलास या गुलाब या कदम्ब धन के लिये धत्तूर वशीकरण के लिये सौवीर से पूजन करे॥



वापी कूप तडागादि की शुद्धि ।

वापी में कूप में या तडाग में यदि कोई मनुष्य मर गया हो वा अस्थि चर्म के पड़ने से या चाण्डालादि से जो कूपादि दूषित हो गया हो उसका सब जल निकाल कर शोधन मार्जन करना तो शुद्ध होता है। देवल ऋषी का मत है कि जल को निकाल कर पांच पिण्ड मृत्तिका निकाले तो शुद्ध होता है जो कूपादि पञ्चनखों के मरने से या चाण्डालादि से दूषित हो गया हो सब जल नि-

काल कर वस्त्र से बाकी शोध ले। फिर उसमें अग्नि जला कर पञ्चगव्य छोड़े तब जो नवीन जल निकले वह शुद्ध होता है। परन्तु यह सब ज्यादः दिन के भ्रष्ठ कूपादि के लिये है। यदि अल्प दिन तक दूषित भया हो तो हारीत ऋषि का मत है कि १०० घड़ा जल निकाल कर पञ्च-गव्य उसमें छोड़े तो श्वान श्वपाक चाण्डाल इत्यादि से दूषित कूपादि शुद्ध होते हैं। इसके आपस्तम्ब विशेष कहते हैं। उपानह म्लेच्छ विर सूत्र स्त्रीरज मद इन पदार्थों से जो कूपादि दूषित भया हो तो ६० घट जल निकाल देने से शुद्ध होता है। स्थावर जलाशयों की शुद्धि कूपही की तरह होती है दूसरे करके बनाये कूपादि के जल पीने में प्रायश्चित्त नहीं होता है। जो मनुष्य विनीत होकर अपने पितरों को जल तिल देता है। वह मानों सहस्र वर्ष श्राद्ध किया यह पितर लोग कहते हैं। यह पद्मपुराण में लिखा है॥



बलिवैश्वदेव ।

संकल्प यह करे देवादि यज्ञ सिध्यर्थे नित्य नैमित्तिक होमे बिनियेागः । गायत्री से पञ्चआहुति करे बाद सर्वे भ्य देवेभ्यो दिवा चरेभ्यो नक्तं चरे भ्यश्च नमः इससे बलिदान करे जलसे वा स्थल में । पौर्णिमा के दिन तण्डुल दान करे तो नित्यनैमि सिद्ध हवन का फल होता है । अथवा एक पूर्णिमा का व्रत करने से भी महा फल होता है अग्नेनय सुपथा इस मन्त्र का जप पांच बार करे तो अग्नि होत्र का फल होता है प्रातकाल ॐ सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इस मन्त्र से जलसें जलसे हवन करे सायं काल मे ॐ अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा कोई कोई प्रणव और गायत्रा से हवन करते हैं क्योंकि इनदोनों से बढ़कर कोई चीज नहीं है । इन्ही दोनों मन्त्रों से हवन करने से सब मन्त्रों से हवन होजाता है । अग्नेनय इस मन्त्र को पांचवार ग्रहस्थ जप करलिया करे और उपासना के बिना भी भोजन करलिया करै तो उसको दोष नहीं है । इन छ पदार्थों में भगवान का पूजन लिखा है । प्रायश्चित धर्म्म १ वर्णधर्म्म २ आश्रम धर्म्म ३ संप्रदाय धर्म्म ४ वित्वधर्म्म ५ नैमित्तिक धर्म्म ६ । इन छ रीतियों से जो अपने धर्म्म को निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं । संप्रदाय धर्म यह है कि भस्मरुद्राक्ष धारण करै "नमः शंभवे" इस मन्त्र से तीन अंजली जल दे तोत्रिकाल रुद्रार्चन का और अभिषेक का फल होता है । (अधिकार्थ और प्राय-

श्चित्तार्थं प्रातःस्नानार्थं मध्यान्हस्नानार्थं वा नित्यनैमित्तिक स्नानार्थं चस्नानं करिष्ये) ऐसा संकल्प पाच बार निमिज्जन करै रुद्रसूक्त जप करै नमःशम्भवाय इसका जप करै रुद्री का फल होता है। सब पूर्णपात्र दान करै गीता का पाठ्य करै। गौ का कण्डूयन (खुजलाना) गोग्रास देने से गोदान का फल होता है।

काशी में अनेक शिवलिङ्ग हैं अनेक तीर्थ हैं उनका दर्शन न करै स्नान न करै ता मनुष्य प्रायश्चित्ती होता है परन्तु इसका परिहार यह है कि स्मरण करने से दर्शन करने से स्पर्श करने से पूजन से नमस्कार करने से स्तुति करने से कभी कलुष (पाप) नहीं होता॥



श्राद्धादि में समय विभाग ।

किसी ने दिन का तीन भाग किया है। १ पूर्वान्ह २ मध्यान्ह उपरान्ह। किसी ने पांच भाग किया है॥

॥ समाप्त ॥

निम्न लि... ...पुस्तकें अवश्य खरीद कर पढ़िये :—

बाबू देवकीनन्दन खत्री की बनाई हुई पुस्तकें—

चन्द्रकान्ता

अद्भुत आश्चर्यजनक और कौतूहलवर्धक सचित्र उपन्यास चार हिस्सों में समाप्त हुआ है। मूल्य चारों भाग २)
उर्दू में „ २)
गोर्खा भाषा १ भाग ॥)

आश्चर्य व्योपार !

चन्द्रकान्ता (गुटका)

सचित्र और जिल्द बँधी केवल १) में चारों भाग बेशक यह ताज्जुब की बात है मगर हमने केवल "चन्द्रकान्ता सन्तति" पर विश्वास दिलाने के लिये छोटे आकार और बारीक हरफों में छापकर गुटका बना दिया है।

चन्द्रकान्ता सन्तति

इसमें चन्द्रकान्ता के लड़कों का हाल लिखा गया है. इसके २३ भाग तैयार हो चुके हैं। हर-एक भाग का दाम ॥)

नरेन्द्रमोहनी।

यह अनूठा उपन्यास ...दो हिस्सों में समाप्त है। दाम १)रु.

...कुसुमकुमारी।

इस उपन्यास में एक विचित्र घटना का उ-ल्लेख किया गया है १)

वीरेन्द्रवीर।

यह छोटासा उपन्यास केवल एकही हिस्से में समाप्त हो गया है। मूल्य ॥≈)

काजर की कोठड़ी।

इसमें यह बात दिखाई गई है कि रंडियों के फेर में पड़ कर ऐयाशों को कैसे २ काम करने पड़ते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है तथा रंडियां किस तरह अपना इश्क और मुहब्बत दिखाकर जाल फैलाती हैं और उनकी बातचीत किस ढंग की होती है। प्रथम भाग—मूल्य ॥=)

प्रवीनपथिक।

एक अंगरेजी उपन्यास का अनुवाद है, ग्रन्थ बड़ा रोचक है १।) रु.

द्रौपदीचीरहरण।

वीर और करुणारस के प्रेमियों को अवश्य देखना चाहिये ।=)

महारानी पद्मावती

(एतिहासिक) चित्तौर की लड़ाई का हाल ।)

शृङ्गारदान।

शौकीनों को सजावट के सम्बन्ध की सब चीजों का बयान इनके मानने ... सकीन है =)

श्रीरामेश्वरयात्रा

इसमें १२ यात्राओं का हाल है। मूल्य।) अ...

नए ग्रन्थ।

"सुदर्शनसम्पादक—श्री पं. माधवप्रसाद मि... लिखित।

श्रीस्वामी विशुद्धानन्द सर... स्वतीजी का—

जीवनचरित

कौन ऐसा है जो काशी के इन प्रसिद्ध स्वामी जी को न जानता होगा और किसे इनकी जीवनी पढ़ने की इच्छा ... होगी? यह जीवनी ब... ही अच्छे ढंग पर लि... गई है। स्वामीजी का विचित्र और ठीक ह...ल जानने के लिये हम लोगों को जोकुछ क... उठाना पड़ा है उसका बदला तभी पूरा होगा जब प्रेमी लोग इसे प... कर अपनी प्रसन्नता प्रगट करेंगे। मूल्य ॥≈

परमहंस श्रीरामकृष्णदेव का

जीवन चरित्र और उपदेश।

बड़े परिश्रम से पर... हंसजी के २८८ उ... देशों का सङ्ग्रह कि... गया है, ग्रन्थ अनू... और छपने योग्य है।

बदरिकाश्रम या...

यात्रियों के लिये ... अनोखा ग्रन्थ है ।≈)

मँगाने का पता— **मैनेजर लहरी प्रेस, काशी**